हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोगसे
सोस्वा ट्रेनिंग ॲण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट और क्रांती महिला संस्था द्वारा
महिला सबलीकरण और सक्षमीकरण प्रकल्प
चेंबूर और गौवंडी

सोस्वा ट्रेनिंग ॲण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट (स्टापी)
म्हाडा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पहेला माला,
महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड कॉलनी, येरवडा,
पुणे - ४११ ००६.
टेलि. नं. -०२० - २६६८७९००;२६६९६२१२;२६६८२७१४
फॅक्स नं.- ०२० - २६६९५६४६
ईमेल आयडी :- stapipune@gmail.com ;
society_2007@dataone.in
वेबसाईट : www.stapi.org

क्रांती महिला संस्था
C/o.अन्नू अजीत स्वामी कमरा नं. १८,
एच.पी. कर्नल, नया भारत नगर,
वंनजारटांडा मौहला,
आर.डी. बी/एच शरद आचार्य स्कूल
चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७४

सक्षम महिला समर्थ महाराष्ट्र

विषय सूची

अ.क्र.	विषय	पृष्ठ सं.
१	१) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बारे में २) सोस्वा ट्रेनिंग अॅण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट के बारे में ३) क्रांती महिला संस्था के बारे में	४
२	महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार और राज्य सरकार	५
३	महिला एवं बालविकास विभाग , भारतसरकार - महिलाओंके लिए विविध योजनाएँ	६
४	महिला एवं बालविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन -महिलाओंके लिए विविध योजनाएँ	७-९
५	महिलाओं के संबंधित विविध सरकारी संस्थाऐ / संघटन की जानकारी (भारत सरकार)	१०-११
६	महिलाओं के संबंधित विविध सरकारी संस्थाऐ / संघटन की जानकारी (राज्य सरकार)	१२
७	अपराधिक कानून तथा महिलाए - अध्याय - १	१३-१५
८	बलात्कार - अध्याय - २	१६-१८
९	दहेज - अध्याय -३	१९-२१
१०	महिलाओं की घरेलू हिंसा से - अध्याय-४	२२-२४
११	अवैध मानव व्यापार - अध्याय-५	२५
१२	लिंग चयन/भ्रूण में लिंग का निर्धारण- अध्याय-६	२६-२७
१३	कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन अध्याय - ७	२८
१४	भारत में महिलाओं के सम्पति अधिकार तथा भरण-पोषण मुस्तिम कानून अध्याय -८	२९-३३
१५	नि:शुक्ल कानूनी सहायता - अध्याय - ९	३४
१६	एचआईवी-एडस के साथ जीवन जी रहे लोगों के अधिकार (पीडब्ल्यूए) -अध्याय -१०	३५-३८
१७	महिला एवं बालविकास विभाग , भारतसरकार-बालविकास के विविध योजनाएँ	४०
१८	महिला एवं बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन-बालविकास के विविध योजनाएँ	४१-४३
१९	महिला एवं बालविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन - बालविकास के अन्य उपक्रम	४४-४५
२०	बच्चो के संबंधित विविध सरकारी संस्थाऐ/संघटन की जानकारी (भारत सरकार और राज्य सरकार)	४६-४८
२१	महिला एवं बालविकास विभाग अंतर्गत विविध पुरस्कार	४९-५१
२२	राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना	५२-५५
२३	हॉस्पिटल सूची	५६-५८
२४	आपकी जानकारी के लिए	५९
२५	संकेताक्षर सूची	६०

पुस्तिका के बारेमें

जागतिक महिला दिन का जश्न/ उत्सव सभी जगह मनाया जाता है और यह उत्सव सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जाता है। साल में एक दिन उत्सव करो और बाकी के सारे दिन महिला अत्याचार के लिए रहते है। इसमें महिला भी दोषी है। मेकअप, रेसिपीज, मेहंदी, साडी इ. स्पर्धा तो चलती है उसमें बहुत भीड होती है, पर बौध्दिक कार्यक्रमोंमे उसमें सिर्फ चार ही महिलाएँ दिखाई देती है। मेकअप, रेसिपीज, मेहंदी, के साथ-साथ बौध्दिक संपदा बढनेकी भविष्य में जरुरत है । तो इसी मोकेपर अपने हक्क, अधिकार, कायदे की जानकारी लेना जरुरी है।

अपनी घटना ये पहेला कायदा है, इस घटने नमुद है। ''हम भारतीय जनता'' इसमे महिला तथा पुरुष ऐसा उल्लेख किया नही - इसमें व्यक्ती को महत्व दिया है। मतलब इस घटने में महिला - पुरुष ऐसा भेदभाव किया नही। सभी एक नागरिक समान है ये घटना का तत्व है। फिर भी महिला - पुरुष असमानता हुई और महिलाओं के लिए अलग कानून बनाना पडा।

भारत ये परिवार संस्थापर चलनेवाला देश है। परिवार संस्था की इमारत विवाह संस्थापर खडी है। हिंदू विवाह कायदा कलम ५ - नुसार पती पत्नी ये दर्जा सिर्फ लीगल वेंडिग वाइफ मतलब विवाहीत पती-पत्नी को ही मिलता है। इस प्रकार हिंदू विवाह एक 'संस्कार' है। जिसमे कोई करार-मदार,टर्म्स-कंडिशन्स नही रहते। पती-पत्नी दोनोंको यह समान बंधनकारक है। और इस विवाह को समाज, धर्म तथा कायदे की मान्यता है। विवाहसे एक हुऐ तो उन्हें कानून के आदेश से ही अलग हो सकते है। कोनसे एक करण से एक पतीने पत्नी का त्याग किया है तो उसे पती के पास से पोटगी, बच्चों की पढाई उनके पालन पोषन का अधिकार कानून ने दिया है।

महिला सुरक्षा तथा उनका सन्मान और अस्तित्व रक्षण के लिए कायदे बनाये है। अन्याय - अत्याचार नही सहना है । जरुरत और फायदे के लिए कायदे का दुरुपयोग न करे। महिलाने महिला को समज लेना बहुत जरुरी है। आकाश को क्षितिजपर झुकाने की शक्ती सिर्फ महिलाओंमें ही है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोस्वा ट्रेनिंग अॅण्ड प्रमोशन इन्स्टिटच्यूट और क्रांती महिला संस्था द्वारा महिला सक्षमीकरण उपक्रम अंतर्गत प्रकाशित यह पुस्तिका काफी उपयोगी साबित होगी यही आशा और उम्मीद के साथ पुस्तिकाके विविध अध्यायोंका चयन किया गया है।

हस्ताक्षर

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोस्वा ट्रेनिंग अॅण्ड प्रमोशन इन्स्टिटच्यूट क्रांती महिला संस्था

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.)

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक सरकारी संघटन, देश की एक नामी तेल कंपनी है। एच पी सी एल के अनेक अहम प्रोजेक्ट है। एच पी सी एल ने हमेशा नये विचारधाराऐं, नयी कल्पनाओंकों पुरस्कृत किया है।

एचपीसीएल की सीएसआर गतिविधियों में मुख्य रुप से समाज के लिए वितरण की मौजूदा प्रणाली में अतराल की पहचान करने और एक दीर्घकालिक, टिकाऊ प्रभाव तथा लोगों के साथ सार्थक हस्तक्षेप पर केंद्रित है ।

एचपीसीएल, प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से अपने व्यापार के संचालन मेंहितधारकों, समुदाय और समाजको शामिल करता है।

एचपीसीएल, एक जिम्मेदार कारपोरेट के रुप में,बच्चे की देखभाल और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल्य विकास और सामुदायिक विकास सीएसआर कार्यक्रम के लिए चार ध्यान क्षेत्रों की पहचान की है।

एच.पी.सी.एल. हमेशा बडी सोच, बडे सपने और महत्वाकांक्षी नतीजो की तरफ वृध्दी तथा प्रयत्नोमें विश्वास रखता है।

सोस्वा ट्रेनिंग ॲण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट (स्टापी)

सोस्वा ट्रेनिंग ॲण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट यह स्वयसेवी संघटन महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत विविध सामाजिक संघटनोकी क्षमता वृध्दी और क्षमता संवर्धन में गये पंधरा साल से जुडी है। भारत सरकार की स्वाथ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 'मध्यस्थ संस्था' की हैसियतसे संस्थाने अनेक आरोग्य तथा कुंटुंब कल्याण प्रकल्पोमें अमल किया है।

सोस्वा ट्रेनिंग ॲन्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्र के विकास के लिए उत्कृष्टता का एक केंद्र विकसित करने के लिए है।

सोस्वा ट्रेनिंग ॲण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट अनेक राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय संघटन के साथ जुडी है । संस्था के अन्य महत्वपूर्ण उपक्रम में क्षमातासंवर्धन विस्थापित स्थंलातरीत क्षेत्रोंमें एच. आय. व्ही. कार्यक्रम, अनाथ निराधार, निराश्रित बच्चोंका पुर्नवसन, जलसंधारण क्षेत्रका विकास, सी.एस.आर. उपक्रम गठन ऐसे कई उपक्रम शामिल है।

सोस्वा ट्रेनिंग ॲण्ड प्रमोशन इन्स्टिट्यूट संस्थाके विश्वस्त मंडलका संस्थाके अनेक सामाजिक उपक्रमोंमें बहुमुल्य योगदान है।

क्रांती महिला संस्था

क्रांती महिला संस्था यह गोवंडी शिवाजीनगर वाशी नाका मुंबई स्थित वेशाव्यवसाय संबंधित भगिनोंकी संघटन है। यह स्वयंसेवी संघटन के विश्वस्त /नियामक मंडलपर यही सदस्योका नामनिर्देशन है। क्रांती महिला संस्था यह वेश्या व्यवसाय संबंधित भगिनोयोंके द्वारा उनके पुर्नस्थापन और प्रगती के लिए गठित एक जन संघटना है।

क्रांती महिला संस्था के मुख्य उद्देश वेश्याव्यवसाय संबंधित भगिनोयोंका स्वास्थ एचआयव्ही एड्स / आर.टी.आय/एस.टी.आय.के प्रतिबंध देखभाल तथा उपचार, महिलाऐं शिशू तथा बच्चों का स्वास्थ और उनके पुर्नस्थापन के लिए स्वास्थ, शिक्षा, हक्क, अधिकार समाज में उचित स्थान और सन्मान इत्यादी है।

संस्था द्वारा इन भगिनीयोंको विविध कानून की जानकारी देकर समाजमें उनके प्रति आदर तथा सन्मानपूर्वक जीवन देनेकी कोशिश जारी है।
क्रांती महिला संस्था इन्ही मुद्दोपर विषयोपर कार्य करने के लिए अनेक संघटन से जुडी हुई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष १९८५ में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रुप में की गई थी । इस विभाग को ३०.०१.२००६ से मंत्रालय के रुप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।

अधिदेश

इस मंत्रालय का व्यापक अधिदेश महिलाओं एवं बच्चों का समग्र विकास करना है। महिलाओं एवं बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के नाते यह मंत्रालय योजनाएं, नीतियाँ तथा कार्यक्रम तैयार करता है; अधिनियम बनता है; विधानों में संशोधन करता है, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संगठनों का मार्गदर्शन करता है तथा उनके प्रयासों का समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त, अपनी प्रमुख्र (नोडल) भूमिका का निर्वहन करते हुए मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों के लिए कतिपय अभिनव कार्यक्रम भी क्रियान्वित करता है। इन कार्यक्रमों में कल्याण तथा सहायता सेवाएं, रोजगार तथा आय सृजन, जागरुकता सृजन और जेंडर संवेदनशीलता के लिए प्रशिक्षण शामिल है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्रों में अन्य सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों में पूरक तथा अनुपूरक भूमिका निभाते है। इन सभी प्रयासों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि महिलाएँ आर्थिक तथा सामाजिक दोनों रुप से सशक्त हों और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के साथ बराबर की भागीदार बनें।

महिला बाल विकास विभाग महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासनने महाराष्ट्र महिला आयोग का गठन २५ जानेवारी १९९३ को किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १४,१५ तथा १६ में लिखित महिलाओं से संबंधीत उन्हे दिए गए मूलभूत हक्क दिलाने की प्रक्रिया को चालना देने के उद्देश्य से, महिलाओं को मिलनेवाली सामाजिक प्रतिष्ठा एवं श्रेणी में सुधार लाने के लिए, राज्य महिला धोरण में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार विशेषतः। संविधान में लिखित अनुच्छेद ३८,३९, ३९-अ तथा ४२, राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार १९९३ में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई ।

आयोग के उद्दिष्ट

- *महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा व श्रेणी में सुधारणा*
- *महिलाओं को अप्रतिष्ठीत करनेवाली परंपराओ के बारे में छानबीन करके आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजना करना।*
- *महिलाओं पर परिणाम करनेवाले कानूनों का सनियंत्रण एवं परिणामकारक अमल करना।*
- *महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं श्रेणीसुधारणे तथा बढाने के लिए सभी आवश्यक बातों में सरकार को आवश्यक सलाह देना ।*

नारी स्वातंत्र्य

हम सब खुद को स्वतंत्र कहते हैं और स्वतंत्रता का जश्न भी मानते हैं लेकिन क्या सही मायने मे ये स्वतंत्रता है? हर महिला आजाद है? वो बंधनों से मुक्त है? ये प्रश्न विचार करने योग्य है और अगर ऐसा नही है तो फिर ये कैसी स्वतंत्रता है?

महिला एवं बालविकास विभाग , भारतसरकार - महिलाओंके लिए विविध योजनाएँ

१. *नौकरी करनेवाली महिलाओंके लिए वसतिगृहः*

नौकरी करनेवाली अकेली, विवाहित या अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा महिला नौकरी कर रही हो, तथा जिसका वार्षिक उत्पन्न रू १६,०००/- से कम है ऐसी महिला उसके बच्चों समेत वस्तीगृह में रह सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से स्वयंसेवी संस्था को ऐसे प्रकल्प के लिए जमीन खरीदने के लिए ५० % तथा इमारत बनाने के पूरे खर्च का ७५ % तक अनुदान दिया जाता है।

२. *अल्पनिवास के लिए निवासगृहः*

नैतिक आधारपर आपत्तीग्रस्त महिलाओंके लिए रहने की तथा अन्य मूलभूत सुविधाएँ देकर वैद्यकीय तथा मानसिक आधार की सुविधाएँ देकर उनका पुनर्वसन किया जाता है। इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थांओको रू. ४,०२,३५०/- आवर्ती तथा रू. ५०,०००/- अनावर्ती अनुदान दिया जाता है।

३. *स्टेपः*

आर्थिकरूप से दुर्बल महिलाओंको अर्थार्जन के दृष्टी से व्यवसाय करने के लिए सरकारी, निमसरकारी, मंडल, स्वयंसेवी संस्थांओको प्रकल्प के पूरे खर्च की ९०% तक रकम का अनुदान मिलता है।

४. *स्वाधारः*

निराधार, निराश्रित, कैदी महिला, नैसर्गिक आपत्तीके कारण निराधार, नैतिकदृष्टी आपतीग्रस्त महिला तथा वेश्या व्यवसाय से छुडाई गयी महिला, बलात्कारपिडीत, दहेज पिडीत, एच.आय.व्ही/एड्स ग्रस्त, अत्याचार की शिकार महिलाओंको स्वयंकी मर्जी से प्रवेश दिया जाता है। इन महिलाओंका शिक्षण, संगोपन एवं प्रशिक्षण तथा पुनर्वसन करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वाधार योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है। यह योजना राज्य सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थांओके माध्यम द्वारा कार्यरत है। इस योजना द्वारा २००, १०० और ५० महिलाओंके गट के अनुसार तय किए गए अनुसार अनुदान दिया जाता है।

५. *पायलट प्रोजेक्टः*

*नैतिकदृष्टी आपत्तीग्रस्त, वेश्या व्यवसाय से छुडाई गयी, लालबत्ती विभाग में काम करनेवाली महिलाएँ और लडकियों का स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से पालन-पोषण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर पुनर्वसन करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट यह योजना कार्यरत है। इस योजन के तहत, अंतिम मकामके लिए (*Destination area*) रू.८.२३ लाख एवं शुरुवात के क्षेत्र* (Source Area) *के लिए रू. ६.७७ लाख (ग्रामीण) और रू. ६.९१ लाख (शहरी) का अनुदान एक बार प्रस्तावित है।*

महिला एवं बालविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन -महिलाओंके लिए विविध योजनाएँ

- ***महिलाओंके सरकारी वसतिगृहे:***
  १६ से ६० वर्ष आयु तक की निराधार, निराश्रित, कुमारी माता, आपत्तीग्रस्त तथा अत्याचार पिडीत महिलांओके लिए आश्रय, संरक्षण एवं मूलभूत सुविधा देकर, उनका नौकरी, व्यवसाय और विवाह इनके द्वारा पुनर्वसन करनेके उद्देश से १६ जिलों मे २० महिला वसतिगृह कार्यरत हैं। जरूरतमंद महिला स्वयं दाखिला लेकर ऐसे वसतिगृह में २-३ साल तक रह सकती हैं। 'माहेर'योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रति माह रू २५०/- तथा उसपर अवलंबित पहले बालक को १५०/- तथा दुसरे बालक को रू. १०० अनुदान प्राप्त हो सकता है।

- ***महिला संरक्षण गृह:***
  अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध अधिनियम १९५६ अंतर्गत पोलिस द्वारा वेश्याव्यवसाय से बचाई गयी महिलाओंके लिए अथवा स्वयं भरती होनेकी इच्छा रखनेवाली महिलाओं को संरक्षण देने तथा उनका पुनर्वसन देने के उद्देश्य से दो संरक्षण गृह चलाए जाते है। इन गृहोंमें महिलाओंके अन्न, वस्त्र, रहने के लिये जगह, वैद्यकीय सुविधांए दी जाती है. यदि उन्हें अपने परिवार में भेजना मुमकिन नही, तब उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय, रोजगार, नौकरी तथा विवाह के द्वारा महिलांओंके पुनर्वसन के लिए प्रयत्न किया जाता है।

- ***आधारगृह - सुधारित 'माहेर' योजना:***
  १६ से ६० वर्ष आयु तक की निराधार, निराश्रित, कुमारी माता, आपत्तीग्रस्त तथा अत्याचार पिडीत महिलांओके लिए आश्रय, संरक्षण एवं मूलभूत सुविधा देकर, उनके नौकरी, व्यवसाय और विवाह इनके द्वारा पुनर्वसन करनेके उद्देश से स्वयंसेवी संस्था द्वारा आधारगृह चलाए जाते है। सुधारित 'माहेर' योजना अंतर्गत पात्र महिला को प्रति माह रू २५०/- तथा उसपर अवलंबित पहला बालक को १५०/- तथा दुसरे बालक को रू. १०० अनुदान प्राप्त हो सकता है। अन्य महिला खुद भी यहाँ प्रवेश ले सकती है। सरकार की तरफ से स्वयंसेवी संस्था को हर महिला के पालनपोषन प्रति प्रतिमाह रू. ७५०/- तक का अनुदान प्राप्त होता है।राज्य में ६ जिलों में ऐसी ९ संस्थांए कार्यरत है।

- ***महिला मंडलोंको सहाय्यक अनुदान:***
  पंजीकृत महिला मंडलोंके अंतर्गत, आर्थिकरूप से दुर्बल तथा पिछडे परिवारोंकी महिलाओं के लिए टंकलेखन, भरतकाम, सिलाई, बुनाई, खाद्यपदार्थ बनाना, रेडिओ, टी.व्ही. दुरुस्ती इत्यादी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम क उद्देश महिलाओंको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है जिससे उनका पुनर्वसन हो सके। इस काम के लिए महिला मंडलोंको रू. २८,५००/ तक का अनुदान एवं ६ महिनों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रू. २१,५००/- तथा रू ४३,००० वार्षिक अनुदान के रूप में दिया जाता है। जिस दौरान प्रशिक्षण शुरू होता है, उस समय हर महिला को रू. ७५/- विद्यावेतन के स्वरूप में दी जाती है। हर प्रशिक्षण का समय ६ महिने होता है।

- ***व्यावसयिक प्रशिक्षण के लिए लडकियोंको विद्यावेतन:***
  आर्थिक रूप से दुर्बल एवं पिछडे परिवारोंसे आनेवाली १० वी कक्षा पास लडकियों को सरकारमान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रोंसे पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक तथा नर्सिंग, आय.टी.आय का प्रशिक्षण लेकर अपने आपका शैक्षणिक रूप से पुनर्वसन करने के लिए प्रतिमाह रू. १००/- तक विद्यावेतन के रूप में दिया जाता है।

- ***स्वयंरोजगार बढाने के लिए व्यक्तिगत अनुदानः***
  निराधार, निराश्रित, पती द्वार छोडी गयी, आपत्तीग्रस्त, आर्थिक दृष्टि पिछडी महिलाओं के लिए खुद के परिवार को सहायता करने के लिए खाने की चिजे बनाकर बेचना, फल, सब्जी बेचना इत्यादी रूप का छोटा व्यवसाय करने के लिए रू. ५००/- तक का अनुदान एक बार दिया जाता है ।

- ***निराश्रित विधवायोंकें बेटीयों के विवाह के लिए अनुदानः***
  निराधार, निराश्रित तथा आर्थिक रूप से पिछडे विधवा महिलाओंकी बेटीयों की शादी के लिए सहायता के रूप से सरकार द्वारा रू २०००/- तक का अनुदान दिया जाता है। शादी के समय लडकी की आयु १८ तथा लडके की आयु २१ पूरी होनी चाहिए ।

- ***अनाथ लडकियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायताः***
  सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचलित आधारगृह, महिला वसतिग़ृह तथा सुधारित माहेर योजना के तहत कार्यरत संस्था एवं संरक्षणगृह, थोडे समय के लिए उपलब्ध निवासगृह और सरकार मान्यताप्राप्त अनुदानित बालगृह इन सभी संस्थांमे रहनेवाली अनाथ लडकियों की शादी के लिए रू १५,०००/- अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। इस रकम से रू १०,०००/- राष्ट्रीयकृत बँक मे रखे जाते है और रू.५०००/- से समान खरीदा जाता है।

- ***देवदासियों के लिए कल्याणकारी योजनाः***
  - ***निर्वाह अनुदानः*** *आर्थिक रूप से पिछडे एवं ४० वर्ष आयु की उपर की देवदासियोंके उदरनिर्भरण के लिए प्रतिमाह रू. ३००/- अनुदान दिया जाता है।*
  - *देवदासियों के विवाह के लिए अनुदानः १८ वर्ष आयु से उपर और आर्थिक रूप से पिछडे देवदासी अथवा देवदासियों की बेटीयों के विवाह के लिए रू. १०,०००/- अनुदान शासन की तरफ से दिया जाता है।*
  - ***शिक्षणः*** *आर्थिकदृष्टी दुर्बल देवदासीयोंकी कक्षा १ली से १० तक पढ रहे बच्चोंके पुनर्वसन के लिए किताबें, पाठ्य पुस्तक, स्कूल का ड्रेस तथा इतर जरूरी सामान खरीदने के लिए लडकियोंको रू. ४००/- तथा लडकों को रू ३७०/- तक अनुदान सरकार द्वारा प्राप्त हो सकता है।*
  - ***संस्थांओको अनुदानः*** *देवदासी प्रथा समाज से नष्ट होने के लिए समाज प्रबोधन का काम करनेवाली पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए रू. १०,०००/- अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाता है।*
  - ***देवदासियों के बच्चों के लिए वसतीगृहः*** *राज्य के सांगली और कोल्हापूर एन दो जिलों में जत और गडहिंगलज इन जगहों पर देवदासियों के बच्चों के लिए स्वयंसेवी संस्था द्वारा दो वसतीगृह चलाए जाते है। सरकार की ओर से प्रतिमाह हर प्रवेशित बच्चे के लिए रू. ७५०/- तक सहायता अनुदान दिया जाता है। इन वसतीगृह में ७५ बच्चों को निवास देने की क्षमता है और दो वसतिगृहोंमे १५० विद्यार्थी सेवाओं का लाभ उठाते है।*

- ***बहुद्देशिय महिला केंद्रः***
  महिलांओको केंद्र सरकार एवं राज्य शासन के विविध योजना तथा उपक्रम, कायदे-कानून के बारे मे जानकारी, शिक्षण या व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध मे जानकारी, महिलाओंसे खुले वातावरण में विचारों का अदान-प्रदान, वाचनालय, आपत्तीग्रस्त महिलाओंके सुविधाएँ, इस प्रकार के सभी काम इन केंद्रोंद्वारा किए जाते हैं। बहुद्देशिय महिला केंद्रों को रू. १,३७,६०० आवर्ती अनुदान तथा रू. २,७४,५०० अनावर्ती अनुदान दिया जाता है।

- ***दहेज दक्षता समिती:***
  दहेज की कुप्रथा को कम करनेके उद्देश्य से जिला अधिकारी के देखरेख में यह समिती कार्यान्वित होती है तथा इसके अंतर्गत चर्चा, सत्र, कार्यक्रम इत्यादी आयोजन के लिए समिती को रू. ८३००/- अनुदान दिया जाता है।

- ***कामधेनू योजना:***
  जरूरतमंद महिलाओंको घरबैठे कामसे, पैसे कमाने का पर्याय उपल्बध्दीके लिए सभी सरकारी तथा निमसरकारी संस्थांओ की जरूरत का सामान निर्मिती का ५० % काम पंजीकृत महिला संस्थाओंको दिया जाता है।

- ***महिला एवं बाल कल्याण समिती:***
  सभी जिला परिषद कार्यालयोंमें महिला एवं बालकोंके पूर्ण विकास के लिए महिला व बालकल्याण समिती गठित की गई है। इस समिती द्वारा २४ एवं १७ नई महिला व बाल विकास योजना काम करती हैं। ५ से १० % निधी जिला परिषद खर्च करती है और बाकी राशी सरकार द्वारा दी जाती है।

- ***महिलाओंके लिए समुपदेशन केंद्र:***
  सामाजिक तथा नैतिक संकटोसे जूझती महिलाओंको निवास की सेवा देकर उन्हें सलाह देकर मार्गदर्शन करना, हेल्पलाईन की सुविधा देना इत्यादि काम इन केंद्रो द्वारा किए जाते हैं। इस योजनांतर्गत हर केंद्र को प्रतिवर्ष रू. २,३०,६६०/- तक अनुदान प्राप्त होता है। राज्य में टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र संस्था, मुंबई के सहयोग से १० महिला समुपदेशन केंद्र कार्य करते है और सन २००६-२००७ इस साल में १० नए महिला केंद्र स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से चलाने के लिए सरकारने अनुमती दी है।

- ***विदर्भ के अमरावती, अकोला, बुलढाना, यवतमाळ, वाशिम और वर्धा इन जिल्होंमे स्थायी किसान परिवारो से आनेवाली लडकियों के सामुहिक विवाह के लिए अनुदान:***
  महिला एवं बाल विकास अंतर्गत १७ फरवरी २००६ के दिन लिए गए सरकार के निर्णय के अनुसार विदर्भ के किसानों ने अपनी बेटीयों की शादी के लिए, लिए गए कर्ज को ज्यादा दर से लौटाना असंभव समझा, तब वे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाते है। इन किसानो को आत्महत्या करने से रोकने के लिए तथा कर्जे की वजह से बरबाद होने से बचाने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजने के लाभ से, किसानों को, किसान की मौत होने पर उसकी पत्नी को तथा माता-पिता की मृत्यू पर लडकी को उसकी शादी के लिए रू. १०,०००/- तथा सामुदायिक शादी का आयोजन करने वाली स्वयंसेवी संस्था अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था को प्रति जोडी रू. १,०००/- तक अनुदान दिया जाता है।

- ***घरेलू हिंसाचारसे महिलाओंका संरक्षण कानून २००५:***
  यह कानून केंद्र सरकार द्वारा १४.०९.२००५ से जम्मू काश्मीर को छोडकर पूरे देश में जारी किया गया है और २६.१०.२००६ से इस कानून के अंतर्गत कारवाई शुरू हो चुकी हैं। उसी प्रकार केंद्र सरकारके महिला व बाल विकास मंत्रालयद्वारा दिए गए सूचना के अनुसार इस कायदे के नियम बनाए गए है और २६.१०.२००६ से वे पूरे भारतवर्ष में जारी किए गए है। इस कानून के बारे में सारी जानकारी www.wcd.nic.in *इस साईट पर उपलब्ध है।*

महिलाओं के संबंधित विविध सरकारी संस्थाऐ / संघटन की जानकारी (भारत सरकार)

१) राष्ट्रीय महिला आयोग:

राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के हितों का संरक्षण और संवर्धन करने एवं उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके लिए जीवन के हर क्षेत्र में समानता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९० के अंतर्गत ३१ जनवरी १९९२ को एक सांविधिक निकाय के रुप में गठित किया गया था ।

आयोग ने इसे अधिदेशित भूमिका और क्रियाकलापों का निष्पादन किया। इसके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख क्रियाकलापों में महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और कुछ नए कानूनों का प्रारुप तैयार करना, महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीडन, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने और उनके शोषण से संबंधित शिकायतों की जाँच करना तथा महिलाओं के वैधानिक अधिकारों को बहाल करने तथा गरिमा के अनुरक्षण के लिए शिकायतों के विशिष्ट मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करना, अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करना, विधिक जागरुकता कार्यक्रमो, पारिवारिक लोक अदालतों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न मामलों पर परामर्श सत्र और जन सुनवाई कार्यक्रमों को आयोजित करना शामिल है। आयोग ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रणाली भी शुरु की है ताकि महिलाओं से संबंधित शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए देश के प्रत्येक हिस्से से आयोग तक पहुँचा जा सके।

जिन विशेष क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को आगे बढाया गया, उनमें एक कार्यक्रम 'घर बचाओ परिवार बचाओ' है, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को महिलाओं के साथ अत्याचार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है ताकि वे वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में मेल-मिलाप के तरीकों को अपनाएं तथा महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किए गए कानूनों को प्रभावी रुप में लागू करें । इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय महिला आयोग तथा दिल्ली पुलिस और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आयोग द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की दृष्टि से विभिन्न पहल/क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए विभिन्न संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए ताकि महिलाओं से संबंधित शिकायतों के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण, कानूनों के संबंध में जागरुकता का प्रसार तथा क्षमता सृजन सुकर हो सके।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के संकेत स्थल* : http:www.ncw.nic.in *पर संपर्क कर ।

२) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण आयोग

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन (छचएथ) चौतरफा महिलाओं के विकास को बढावा कि समग्र प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से २०१० में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा शुरु किया गया था।

यह अंतर-क्षेत्र अभिसरण मजबूत करने के लिए जनादेश दिया है; मंत्रालयों और विभागों में सभी महिलाओं के कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के समन्वय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने। मिशन के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के तत्वावधान में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यक्रमों के लिए एक एकल खिडकी सेवा प्रदान करना है।

अपने जनादेश के साथ प्रकाश में, मिशन महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण के लिए एक दृष्टि है, जिसका अर्थ मिशन पूर्णा शक्ति नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला संसाधन केंन्द्र महिलाओं के लिए सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय अभिसरण केंद्र के रुप में कार्य करता है जो स्थापित किया गया है। यह सब लिंग संबंधित मुद्दों पर ज्ञान, जानकारी, अनुसंधान और डेटा के एक केंद्रीय भंडार के रुप में कार्य करता है और राष्ट्रीय और राज्य मिशन प्राधिकरण सर्विसिंग मुख्य संस्था है।

मिशन वक्तव्य

प्रभाव महिलाओ, विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल बनाने और सामाजिक परिवर्तन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रोग्राम है कि अंतरक्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से समग्र विकास और महिलाओं, लिंग समानता और लैंगिक न्याय के सशक्तिकरण को बढावा देने के जो प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए।

कुंजी रणनीतियॉ

- *महिलाओं के लिए योजनाओं का अंतर - क्षेत्रीय अभिसरण; निगरानी और प्रगति की समीक्षा ।*
- *महिलाओं के लिए समर्थन में अधिक से अधिक कुशलता के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना।*
- *साक्ष्य आधारित नीति बनाने के लिए केंद्रित शोध, योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों की समीक्षा।*
- *महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल और उद्यमिता विकास, माइक्रो क्रेडिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वसहायता समूहों के विकास में निवेश ।*
- *पंचायती राज संस्थाओं को सहायता; महिलाओं के स्थानीय निकायों के लिंग समानता के लिए व्यवहार में परिवर्तन और सामाजिक लामबंदी के लिए मीडिया और संचार पर ३६० डिग्री दृष्टिकोण को मजबूत बनाने के लिए आंदोलनों और समुदाय के प्रतिनिधियों ।*

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय महिला सक्षमीकरण आयोग केसंकेत स्थल: www.nmew@nic.in पर संपर्क करे

३) राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष भारत सरकार द्वारा १९९३ में सरकारी और गैर - सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। उद्देश्य - महिलाओं को डेरी, कृषि, दुकानदारी, विक्रय, हस्तशिल्प आदि आय सृजनात्मक कार्यक्रमों को संगठित करने में मदद देना और इन छोटी कमाइयों से महिलाओं और उनके परिवारों को उनका सामाजिक - आर्थिक महत्व बढाना है।

कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय महिला कोष स्व-सहायता समूहों में संगठित महिलाओ को ऋण प्रदान करता है। ऋण की पात्रता और विभिन्न योजनायें इस विवरणिका में आगे दिये गये है। राष्ट्रीय महिला कोष के कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में लागू हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष आर्थिक सहायता किन्हे देता है।

१. *गैर - सरकारी संगठन*
२. *महिला विकास निगम*
३. *सहकारी समितियाँ - जिनमें कम से कम १/३ सदस्य महिलायें हों*
४. *इन्दिरा महिला ब्लॉक समितियाँ*
५. *राज्य सरकारों की एजेंसियाँ जैसे डीआरडीए, डेरी फेडरेशन, नगर निगम आदि*
६. *महिला/नगर सहकारी बैंक - उनके द्वारा निर्धन महिलाओं को दिये हुये ऋण की १००% पुनर्वित ।*

राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण योजनाऐं निम्नलिखित है:-

१. *ऋण प्रोत्साहन योजना*
२. *मुख्य ऋण योजना*
३. *स्वर्ण ऋण योजना*
४. *गृह ऋण योजना*
५. *कार्यगत पूंजी सावधि ऋण योजना*
६. *फ्रेंचाइजी योजना*
७. *भाहरी सहकारी बैंक/महिला सहकारी बैंक को पुन: वित्त योजना*
८. *नोडल एजेंसी योजना।*

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय महिला कोष केसंकेत स्थल : www.rmk.nic.in पर संपर्क करे ।

महिलाओं के संबंधित विविध सरकारी संस्थाऐ / संघटन की जानकारी (राज्य सरकार)

१) महिला आर्थिक विकास महामंडळ (मर्या.)

महिलाओं को आर्थिकरुप से स्वावलंबी बनाकर उनमें छिपे गुणों को संधी देकर उनकी क्षमता बढाना महिलाओं को स्वयंसहायता बचत गट के माध्यम से एकजूट बनाकर उनकी उद्योजकता को बढावा देना, स्वयंरोजगार और बनाए गल सामान को बेचने के लिए बजार इनका मिलाप करवाना, मुलभूत सेवाओं की मदद से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना इन मुख्य उद्देशों से आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के कारन दि. २४ फरवरी १९७५ को इस महामंडळ की स्थापना की गई है । यह महामंडळ महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत कार्य करता है।

केंद्र तथा राज्य सरकार के विविध विकासात्मक योजनाओं के लिए 'शिखर संस्था' के रुप में यह संस्था कार्यभार संभालती है। महिलाओं की क्षमतावृध्दी, प्रशिक्षण, कौशल्य वृध्दी, शिक्षण, व्यवसाय एवं कृषीपर आधारित प्रशिक्षण, स्वयंसहाय्यता समुहगट, महिला उदयोजकता जैसे महिलाओं से संबंधित विषयोंपर कार्यरत स्वयंसेवी संस्था इनके लिए समन्वय संस्था के रुप में कार्य करती है। ग्रामीण जगहों में महिला सक्षमीकरण के लिए महाराष्ट्र पतपुरवठा, महिला स्वावलंबन निधी, महिलाओं की जागृती के लिए कार्यक्रम लिए जाते है। स्वर्णजयंती, ग्राम, स्वयंरोजगार तथा शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाके तौर पे 'महिला आर्थिक विकास महामंडळ' कार्य करती है।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय महिला कोष के संकेत स्थल :* www.mavimindia.org *पर संपर्क करे

२) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग

महिलाओंके साथ होनेवाले अन्याय का निराकरण और अत्याचार को न्याय तथा उनके विकास को नई दिशा प्राप्त होने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारने नया धोरण तथा नया कानून बनाया हैं। घरेलू हिंसाचारसे महिलाओंका संरक्षण कानून २००५ की प्रभावी अंमलबजावणी के लिए, इन कानूनों की अधिक अच्छे प्रकार से तथा परिणामकारक अमल और महिलाओं का सामाजिक स्तर बढकर उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन और चालना के लिए महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह महाराष्ट्र महिला आयोग की स्थापना और गठन २५ जानेवारी १९९३ को किया है।

महिला आयोग का कार्यक्षेत्र

महिला संरक्षणके कानून का उल्लंघन होनेपर योग्य न्याय अधिकारयंत्रणा केपास तकरार दाखिल की जा सकती है। लोकन्यायालयोंमें अपना मत/विचार व्यक्त/प्रकट कर सकते है। अत्याचार पिडीत महीला को सल्ला और मार्गदर्शन और मुफ्त में सेवा, गरीब पिडीत महिलाओं के केस की पुछताछ, पोलिस के कारवाई पर ध्यान और काम के जगह पर होनेवाली बिमारियाँ, लैंगिक अत्याचार और अन्य समस्या की पढाई और महिला धोरण निश्चिती के लिए राज्य शासन को मदत सलाह एवं मार्गदर्शन करना यह महिला आयोग का कार्यक्षेत्र है ।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय महिला कोष के संकेत स्थल :
www.mahilaaayog.maharashtra.gov.in *पर संपर्क करे*

अपराधिक कानून तथा महिलाएं

क. अपराध तथा उनकी सूचना देना

❖ महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपराध में निम्नलिखित शामिल होते हैं-

- बलात्कार, हत्या, गम्भीर चोट, हमला,
- छेड-छाड, ऐसा कोई भी शब्द कहना अथवा कोई इशारा करना जिसकी मंशा किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने की हो।
- अपहरण, अगवा करवा अथवा किसी महिला को विवाह करने के लिए बाध्य करना,
- किसी भी अवयस्क बालिका को इस मंशा के साथ प्रेरित करना कि उस बालिका को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य अथवा मजबूर किया जाए, किसी अवयस्कर को वैश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु बेचना अथवा खरीदना,
- दहेज की माँग करना, दहेज देना अथवा लेना,
- किसी विवाहित महिला के साथ पति अथवा उसके किसी अन्य संबंधी द्वारा क्रूरता, दहेज हत्या आदि,
- पत्नी के जीवित रहते, बिना तलाक पुनः विवाह करना, किसी विवाहित महिला को अपराधिक मंशा से प्रलोभन देना, ले जाना अथवा बन्दी बनाकर रखना,

किसी गर्भवती महिला का जबरदस्ती से गर्भपात करवाना, जिस व्यक्ति से बाद में विवाह किया गया है उससे पहले के विवाह के संबंध में छुपाना, बिना किसी कानूनी विवाह के धोखाधडी पूर्ण तरीके से वैवाहिक समारोह करना।

❖ अपराध का अर्थ ऐसा भी कृत्य चूक है जो कानून के अंतर्गत दण्डनीय है ।

पुलिस को सूचना

- कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है या पीडित निकटतम पुलिस थाने में जाकर पुलिस को यह सूचना दे सकता है कि एक अपराध घटित हुआ है यह रिपोर्ट लिखित में दर्ज होनी चाहिए। इसे एफआईआर अथवा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
- एफआईआर में आरोपी का नाम तथा पता, घटना घटित होने की तिथि, स्थान तथा समय, अपराध करने का तरीका, गवाह की पहचान जैसे सभी तथ्य होने चाहिए।

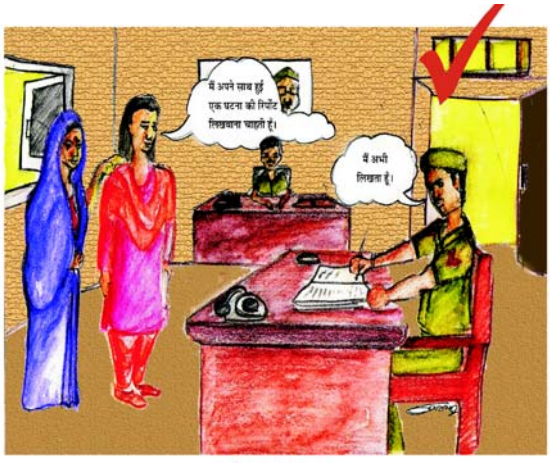

पुलिस को सूचना

पुलिस का कर्तव्य

- किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है।

- *यदि सूचना मौखिक रुप से दी जा रही है तो इसे पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अथवा उसके दिशा-निर्देश में लिखित में रखा जाना चाहिए।*
- *एफआईआर में सभी संगत तथ्य होने चाहिए ।*
- *एफआईआर को अवसर मिलते ही दर्ज करवाना चाहिये। यह सभी प्रमाण प्राप्त करने और आरोपी का पता लगा पाने के लिए आवश्यक है।*
- *यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को गैर - संज्ञेय (*Non-Lognizable) *अपराध के संबंध में सूचना देता है तो उसे ऐसी जानकारी को इस प्रयोजन हेतु विशेष रुप से रखी गई एक पुस्तक में दर्ज करना चाहिए। अधिकारी फिर उसे किसी मजिस्ट्रेट को संदर्भित करेगा । गैर - संज्ञेय अपराध को लिखित में अथवा मौखिक रुप से सीधे मजिस्ट्रेट को भी सूचित किया जा सकता है।*
- *चूँकि एक गैर - संज्ञेय अपराध सामान्यत: किसी निजी गलती अथवा एक व्यक्तिगत अपराध की प्रकृति का होता है, पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश न दिए जाने तक किसी गैर - संज्ञेय अपराध की जाँच नहीं कर सकती है।*

पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना करने के मामले में हल

- *यदि पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी किसी सूचना को दर्ज करने से मना कर देता है तो व्यक्ति अपनी सूचना के मूल तत्व को लिखित में, जिले के पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है।*
- *मजिस्ट्रेट को भी शिकायत की जा सकती है। मजिस्ट्रेट जाँच अधिकारी से मामले की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट माँग सकता है।*

ख्र. अन्य महत्वपूर्ण कानून

गिरफ्तारी के समय अधिकारी

- *गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार - पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती है।*
- *अपराध के पूरे ब्यौरे जानने का अधिकार।*
- *संबंधियों / मित्रों को सूचित करने का अधिकार - गिरफ्तारी करते ही पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी और स्थान जहाँ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रखा गया है के संबंध में सूचना तत्काल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र, संबंधी अथवा उसके द्वारा बताए या नागित किए गए अन्य व्यक्तियों को दी जानी होती है।*
- *गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके अधिकारों के संबंध में सूचित करना भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है।*
- *किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सिवाय अपवाद परिस्थितियों में और वह भी न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात।*
- *बिना किसी विलम्ब के मजिस्ट्रेट के सक्षम प्रस्तुत करने का अधिकार - किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना २४ घंटे से अधिक के लिए हिरासत में रखना अवैध है।*
- *गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेना - कोई महिला पुलिस ही किसी महिला की तलाशी ले सकती है। यह तलाशी एक सम्मान जनक तरीके से ली जानी चाहिए।*
- *एक पुरुष अधिकारी महिला के घर की तलाशी ले सकता है ऐसी तलाशी बिना किसी तलाशी वारंट के ली जा सकता है। परन्तु*
- *कोई तलाशी तथा जब्त करने की क्रिया, यदि कोई हो, तो मोहल्ले के दो स्वतंत्र तथा सम्मानित व्यक्तियों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए।*
- *यदि कुछ जब्त य वसूल किया जाए तो एक पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए। दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए होने चाहिए।*

- *जमानत का अधिकार - किसी महिला का यह जानने का अधिकार है कि जिस अपराध हेतु उसे गिरफ्तार किया गया है वह जमानत योग्य है अथवा नहीं। एक जमानत योग्य अपराध में किसी व्यक्ति के पास पुलिस द्वारा जमानत के लिए अदालत में पेश होना पडता है। केवल मजिस्ट्रेट ही ऐसे व्यक्ति को जगानत पर छोड सकता है।*
- *यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत योग्य अपराध का दोषी है और वह निर्धन है तथा जमानत प्रस्तुत नहीं कर सकता तो अदालत उसे जमानत के बिना मुचलके को देने पर छोड सकती है।*

किसी मेडीकल प्रैक्टीशनर द्वारा जाँच किए जाने का अधिकार

जाँच तथा अन्वेषण

- *जाँच अधिकारी को पुलिस थाने में पूछताछ के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए एक लिखित आदेश देना होता है।*
- *किसी भी व्यक्ति को किसी प्रश्न का उत्तर देने लिए प्रेरित, धमकी अथवा प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है।*
- *पहचान को छुपाने का अधिकार - बलात्कार की पीडित के मामले में यह कर्तव्य होता है कि उसकी पहचान को मीडिया सहित किसी द्वारा भी प्रकट न किया जाए।*
- *पूछताछ के दौरान कानूनी सहायता अथवा किसी मित्र की सहायता की अनुमति होती है।*

मुकदमें के दौरान अधिकार

१. *मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और इसके संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार - महिला सहित किसी भी आरोपी व्यक्ति को नि: शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करवाना राज्य की संवैधानिक बाध्यता है।*
२. *बचाव का अधिकार - प्रत्येक व्यक्ति के पास मुकदमें के दौरान किसी वकील द्वारा बचाव किए जाने का अधिकार है।*

चिकित्सक की सहायता का अधिकार -

मानव जीवन की रक्षा करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रोगी चाहे कोई निर्दोष व्यक्ति हो अथवा कोई अपराधी, समुदाय के स्वास्थ्य की निगरानी करने वालों का यह दायित्व बनता है कि वे जीवन की रक्षा करें।

- *प्रत्येक चिकित्सक को चाहे वह किसी सरकारी अस्पताल में हो अथवा अन्यथा; जीवन की रक्षा हेतु उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाओं प्रदान करने की बाध्यता है। कोई भी कानून अथवा राज्य की कार्रवाई चिकित्सा व्यवसाय के सदस्यों की इस अत्यधिक महत्वपूर्ण बाध्यता को पूरा करने से बचने / विलंब करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। प्रत्येक चिकित्सक की यह पूर्ण बाध्यता होती है कि वह उसके समक्ष आने स्वयं आने, पर अथवा अन्यों द्वारा लाए जाने पर घायल व्यक्ति का उपचार करें।*
- *प्रत्येक चिकित्सक को इस स्थिति का पता होना चाहिए और इस निर्णय को इस अदालत के निर्णयों को सूचित करने वाले सभी जर्नलों में प्रकाशित किया जाना चाहिए तथा इन पहलुओं को दर्शाते हुए राष्ट्रीय मीडिया तथा साथ ही दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी इनका पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए।*

बलात्कार

कानून बलात्कार को किस प्रकार परिभाषित करता है ?

बलात्कार तब हुआ माना जाता है जब कोई पुरुष निम्नलिखित स्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करे -

- उसकी इच्छा के विरुध्द
- उसकी सहमति के बिना
- कभी-कभी शारीरिक सम्बन्धों हेतु महिला की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात भी, कृत्य बलात्कार हो सकता है यदि स्वीकृति को निम्नानुसार प्राप्त किया गया है तो-
- उसकी हत्या अथवा उसे चोट पहुँचाने की धमकी देकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करना ।
- उसका पति बनने का बहाना बनाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त करके।
- जब वह निम्नलिखित के कारण अपनी सहमति की प्रकृति तथा परिणामों को न समझती हो -
  - मानसिक स्थिति ठीक न होने
  - उसे आरोपी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गई शराब अथवा नशीली दवाओं के प्रभाव में
- १६ वर्ष की आयु से कम की किसी महिला के साथ चाहे वह इस कृत्य के लिए स्वीकृति भी प्रदान करती हो।

क्या कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का बलात्कार कर सकता है?

भारत में वैवाहिक बलात्कार की कोई अवधारणा नहीं है। भारत में दाम्पत्य सम्बन्ध के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए यदि कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुध्द शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो भी वह बलात्कार नही माना जाएगा।

परन्तु उपरोक्त के कुछ अपवाद हैं -

- यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की आयु १५ वर्ष से कम है और उसने उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किए हैं तो वह बलात्कार होगा।
- यदि पति तथा पत्नी अदालत के किसी आदेश द्वारा अलग-अलग रह रहे हैं और प्रथा अथवा उपयोग के द्वारा पति ने बिना पत्नी की सहमति के उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए तो वह बलात्कार होगा।
- यदि किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ उसका पति होने का बहाना करके शारीरिक संबंध स्थापित किए तो वह भी बलात्कार होगा।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम, २००५ जोकि एक सिविल कानून है, वैवाहिक बलात्कार को मान्यता प्रदान करता है।

सामूहिक बलात्कार

यदि पुरुषों का कोई समूह किसी महिला को मिलकर उनके साथ एक के बाद एक करके यौन सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य करते हैं तो वे बलात्कार के दोषी होंगे।

निम्नलिखित व्यक्ति भी बलात्कार के दोषी होंगे –

- *ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी महिला का बलात्कार करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता हो*
- *ऐसा कोई व्यक्ति जो उसे चिल्लाने से रोकता हो*
- *ऐसा कोई व्यक्ति जो इस पर नजर रखता हो कि कोई आ तो नहीं रहा है।*
- *कोई भी व्यक्ति जो बलात्कार के अपराध में सहायता करने के लिए कोई भी कृत्य करता है वह अपराधी है, चाहे वह कोई महिला ही क्यों न हो।*

अभिरक्षा बलात्कार

अभिरक्षा बलात्कार तब होता है जब कोई बलात्कार किसी ऐसे पुरुष द्वारा किया जाए जिसके कब्जे में बलात्कार की जाने वाली महिला हो। महिलाओं को कब्जे में रखने वाले पुरुष आमतौर पर काफी मजबूत तथा शक्तिशाली स्थिती में होते हैं । यदि वे अपनी स्थिति का दुरुपयोग महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए करें तो यह एक बहुत ही गम्भीर अपराध है।

यदि कोई पुरुष अपनी अभिरक्षा में होने वाली महिला का बलात्कार करे तो अभिरक्षा बलात्कार के लिए किसे दण्डित किया जाएगा?

- *पुलिस*
- *लोकसेवक*
- *कारागार, सुधार गृह अथवा अस्पताल का प्रबन्धक या स्टाफ*

बलात्कार हेतु दण्ड

- *बलात्कार हेतु दण्ड कम से कम ७ वर्ष है और यह १० वर्ष तक बढ सकता है।*
- *कुछ मामलों में बलात्कार हेतु न्यूनतम दण्ड १० वर्ष है। ये है-*
    - *यदि पुरुष को पता हो कि महिला गर्भवती है तत्जा वह उसका बलात्कार करता है।*
    - *यदि लडकी की आयु १२ वर्ष से कम है।*
    - *सामूहिक बलात्कार*
    - *अभिरक्षा बलात्कार*

बलात्कार महिलाओं के प्रति सबसे अमानवीय अपराधों में से एक है परन्तु अक्सर इस अपराध के विरुध्द आवाज नहीं उठाई जाती है महिलाएं जो इस अपराध का शिकार होती हैं आमतौर पर पुलिस को इसकी सूचना नही देती हैं और यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उसे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं।

आमतौर पर ऐसे अपराधों की सूचना पुलिस को निम्नलिखित कारणों से नहीं दी जाती है-

- *पुलिस महिला को जिम्मेवार ठहराती है अथवा कहती है कि उसका चरित्र खराब है।*
- *उसके तथा परिवार की समाज में बदनामी होती है।*
- *उसका बलात्कार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया होता है जो उसके तथा उसके परिवार से परिचित था या वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है।*
- *वह अपने साथ किए गए कृत्य के बारे में कुछ नहीं बोल सकती है।*
- *यदि वह बच्ची हो तो वह यह समझने में असमर्थ होती है कि उसके साथ क्या किया गया है।*

कानून बलात्कार की पीडित को निम्नलिखित सहायता मुहैया करवाता है-

- *दोषी के लिए कडा दण्ड निर्धारित किया गया है।*
- *पहचान को छुपाना -*

➢ *पुलिस को किसी भी व्यक्ति को महिला के नाम तथा ब्यौरे नहीं बताने चाहिए।* ➢ *न्यायालय में कार्यवाही बन्द कमरे में होती है। आम जनता न्यायालय में आकर कार्यवाही को नहीं देख सकती है।*	

- *पीडित की चिकित्सा जाँच बलात्कार के अपराध के होने की सूचना प्राप्त होने के समय से २४ घंटे के भीतर किसी सरकारी अस्तपताल में या पीडित की स्वीकृति से या अन्य कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से स्वीकृति के कारवाई गई जाँच गैर - कानूनी होगी।*
- *डॉक्टर पीडित की जाँच करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें जाँच प्रारम्भ तथा पूर्ण होने का सटीक समय दिया गया होगा और साथ ही पीडित द्वारा/उसकी ओर से दी गई स्वीकृति भी दर्ज की गई होगी। रिपोर्ट में पीडित का नाम तथा पता और उसे जिस व्यक्ति द्वारा लाया गया, उसकी आयु, डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु महिला में से उस व्यक्ति के लिए गए पदार्थ का विवरन, चोटों के निशान, उसकी मानसिक स्थिति, और ऐसे अन्य विवरण होंगे।*
- *जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने अथवा बलात्कार का प्रयास करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो पंजीकृत मेडीकल प्रैक्टीशनर उसकी चिकित्सा जाँच करेगा और वह इस प्रयोजन हेतु तर्कसंगत बल का भी प्रयोग कर सकता है।*

बलात्कार के मामले में क्या न करें :

- *स्नान न करें अथवा अपने वस्त्र न बदले - स्नान करने अथवा वस्त्र बदलने से महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है। यद्यपि यह बहुत गन्दा लगेला और लडकी जानबूझकर स्नान करना चाहेगी, परन्तु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।*

बलात्कार के मामले में क्या करें :

- *किसी को बताएं - किसी भरोसेमन्द व्यक्ति को बताना सदैव ही बेहतर रहता है। तत्काल किसी के साथ पुलिस स्टेशन जाएं और यदि संभव हो तो सरपंच अथवा ग्राम प्रमुख को सूचित करें या किसी सामाजिक समाज सेवक अथवा एनजीओ से सम्पर्क करें।*
- *प्राथमिकी दर्ज करें - पुलिस के पास तत्काल रिपोर्ट दर्ज करवाई जानी चाहिए और कोई व्यक्ति पीडित के साथ जाना चाहिए। ऐसे मामलों में विलम्ब, महत्वपूर्ण साक्ष्यो को नष्ट कर सकता है।*
- *चिकित्सा जॉच - पुलिस पीडित को चिकित्सा जाँच हेतु भेजती है । वे उसकी वस्त्रों को लेकर उन्हें एक सील बन्द लिफाफे में रख सकती है ताकि उन्हे उचित जाँच हेतु भेजा जा सके।*

  यदि नजदीक में कोई पुलिस थाना नहीं है तो महिला को अपनी जाँच एक स्वतंत्र चिकित्सक से करवानी चाहिए।

यह भी याद रखें कि:

- *किसी भी पुलिसकर्मी को महिला को छूने की अनुमति नहीं है।*
- *यहाँ तक कि कोई मजिस्ट्रेट भी उसे छू अथवा जाँच नहीं सकता । केवल एक अर्हता प्राप्त चिकित्सक ही चिकित्सा जाँच कर सकता है।*

दहेज

दहेज का अर्थ

दहेज का अर्थ ऐसी कोई भी संपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु होती है जो

- वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को अथवा वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दी गई हो या देने पर सहमति बनी हो अथवा ।
- वधू अथवा वर के माता-पिता में से किसी द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
- विवाह में अथवा विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात कभी भी। दहेज देना, लेना, उसकी माँग करना अथवा उसका प्रचार भी करना एक अपराध है।

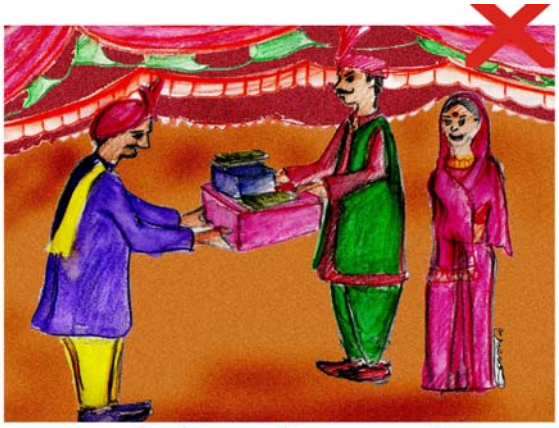

दहेज लेना अथवा देना एक अपराध है

कोई भी व्यक्ति जो अपनी पुत्र अथवा पुत्री अथवा संबंधी के विवाह में दहेज लेता है अथवा देता है, वह एक अपराध करता है।

कानून में विवाह के समय वधू को अथवा वर को कुछ उपहार दिए जाने की अनुमति है परन्तु उसमें यह अपेक्षित है कि-

- उपहारों की एक लिखित सूची बनाई जाए
- इस सूची को विवाह के समय अथवा विवाह के ठीक पश्चात बनाया जा सकता है
- अनुमानित मूल्य के साथ प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण शामिल हो
- उपहार देनेवाले व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो
- वधू अथवा वर के साथ सम्बन्ध बताया गया हो
- सूची पर वधू तथा वर द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों
- ये उपहार रीति के अनुरुप होने चाहिए और उनका मूल्य उपहार देने वाले व्यक्ति की स्थिति के सम्बन्ध में अत्यधिक न हों
- ऐसे उपहारों की कोई माँग अथवा बाध्यता नही होनी चाहिए। यदि उक्त शर्तों को पूरा किया जाता है तो दहेज अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधान लागू नहीं होंगे।

यदि किसी भी पक्ष द्वारा दहेज लिया गया है तो कानून यह प्रावधान करता है कि दहेज का उपयोग पत्नी के लाभ के लिए होगा और उसे उसके उत्तराधिकारियों को अंतरित किया जाएगा।

- *दहेज देने अथवा लेने के लिए दण्ड निम्नलिखित हैं -*
- *५ वर्ष से अधिक की कैद और कम से कम १५००० रुपए जुर्माना*
- *यदि दहेज की राशि १५००० रुपए से अधिक है तो दण्ड की राशि दहेज की रशि जितनी होगी।*
- *यद्यापि, दहेज देना भी दण्डनीय है परन्तु व्यथित व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई बयान उस व्यक्ति को दण्ड का अधिकारी नहीं बनाएगा।*

क्रूरता

❖ *भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९८ ए क्रूरता के अपराध से संबंधित है*

❖ *क्रूरता का अर्थ तथा इसमें शामिल कृत्य निम्नलिखित हैं-*

- *यदि पति अथवा पति का कोई संबंधी महिला के साथ क्रूरता से पेश आता हो तो उसे अथवा उस सम्बन्धी को कैद का दण्ड दिया जाएगा जिसकी अवधि ३ वर्ष तक की हो सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।*
- *किसी महिला को इस हद तक पीटना अथवा यातनाएँ देना कि उसकी जीवन, अंगों अथवा स्वास्थ्य को चोट पहुँचे या खतरा हो अथवा जो महिला को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करें।*

पत्नी को पीटना

- *मानसिक तथा शारीरिक क्रुरता - धन अथवा सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए महिला को यातनाएं देना, धमकी देना, मजबूर करना अथवा उसका उत्पीडन करना, ऐसी माँगो को पूरा न करने के कारन महिला का उत्पीडन, बच्चा अथवा लडका न होने पर ताने मारना आदि।*

- *पीडित, उसका कोई संबंधी अथवा कोई भी मान्यता प्राप्त कल्याण संगठन भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९८ ए अथवा दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी विवाहित महिला पर क्रूरता के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कर सकता है।*

- *दहेज की माँग करने हेतु दण्ड - ६ माह से अधिक की कैद जोकि २ वर्ष तक बढाई जा सकती है और ज़ुर्माना जोकि १०००/- रुपए तक हो सकता है।*

दहेज हत्या - धारा ३०४ बी आईपीसी

दहेज हत्या का मामला तब बनाया जाता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों -

- *यदि किसी महिला की हत्या जलने से, शरीर की चोटों अथवा अप्राकृतिक परिस्थितियों में तथा विवाह के सात वर्ष के भीतर होती है।*
- *ऐसे मामले में उसके पति तथा ससुराल वालों को उत्तरदायी माना जाएगा और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम ७ वर्ष के कारावास की सजा होगी जिसे आजीवन कारावास में बढाया जा सकता है।*
- *यदि यह पाया जाता है कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति अथवा पति के किसी संबंधी द्वारा दहेज की माँग के संबंध में उसके साथ क्रूरता अथवा उसका उत्पीडन किया जा रहा था तो ऐसी हत्या को दहेज हत्या कहा जा सकता है।*

वधू को जलाया जाना एक घृणित अपराध है

- ❖ *यह अधिनियम प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक दहेज निषेधन अधिकारी (डीपीओ) नियुक्त करें।*
- ❖ *डीपीओ का कर्तव्य यह देखना है कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।*

दहेज एक कुरीति है जिसे जड से उखाड फेंकने की आवश्यक्ता है। और यह केवल तब ही सम्भव है जब हम में से प्रत्येक इसके विरुध्द खडा हो । ऐसी कई लडकियाँ है जिन्हें दहेज के लिए यातनाएँ दी जाती हैं, जलाया जाता है अथवा जिनकी हत्या की जाती है। कानून मौजूद है और इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण अदालती निर्णय

- *दहेज निषेध अधिनियम, १९६१ के प्रत्यावर्तन और क्रियान्वयन के संबंध में, १९९७ की रिट याचिका (सिविल) संख्या ४९९*

  उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में अभिमत व्यक्त किया था कि 'दहेज व्यवस्था के अभिशापों के प्रति समाज की अंतरआत्मा को पूर्णत: जगाई जाने की आवश्यकता है ताकि समाज में दहेज की माँग करने वालों को स्वत: ही लज्जित होना पडे। हमें कोई संदेह नही है कि हमारी युवा तथा प्रबुध्द महिलाएं इस कुँरीति से लडने के लिए आगे आएँगी जो उन्हें व्यापार की वस्तुत बना देती है। हम यह भी आशा करते हैं कि हमारे शिक्षित युवक विवाह के बाजार में बिकने से मना कर देंगे और एक शालीन तरीके से जीवन में अपने साथियों को चुनने के लिए आगे आएँगे।'

महिलाओं की घरेलू हिंसा से

रक्षा अधिनियम, २००५

घरेलू हिंसा का अर्थ

- *जीवन, अंग, स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा कुशलता को चोट पहुँचाना अथवा खतरे में डालना । मानसिक या शारीरिक आघात ।*
- *महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को दहेज की मांग पूरा करने की मंशा से महिला को चोट पहुचाना अथवा जीवन खतरे में डालना ।*
- *''शारीरिक दुर्व्यवहार'' में किसी भी प्रकार का हमला, आपराधिक धमकी तथा आपराधिक रुप से बल का प्रयोग शामिल होता है।*
- *''यौन दुर्व्यवहार'' में इस प्रकार की यौन प्रकृति के कृत्य शामिल होते है जैसेकि जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना, अश्लील साहित्य अथवा अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए बाध्य करना, अन्यों के मनोरंजन के लिए जबरदस्ती महिला का उपयोग करना, यौन प्रकृति का अन्य कोई कृत्य, गाली देना, अपमानित करना, नीचा दिखाना अथवा अन्य प्रकार से किसी की गरिमा का उल्लंघन शामिल है।*
- *''मौखिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार'' जैसे कि चरित्र अथवा व्यवहार पर लांछन लगाना/ कलंकित करना, दहेज न लाने के लिए अपमानित करना, लडका न होने के लिए अपमानित करना, विद्यालय, कॉलेज अथवा कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान न जाने देने के लिए बाध्य करना, किसी को कोई रोजगार लेने से रोकना, जिस व्यक्ति में महिला की रुचि है उसे तंग करने के लिए धमकियाँ देना, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना शामिल है।*
- *आर्थिक दुर्व्यवहार'' जैसे कि महिला को उसके तथा उसके बच्चों के रख - रखाव के लिए पैसा न देना, उसे भोजन, कपडे, दवा आदि न देना, महिला को घर में न रखना, घर के किसी भाग पर पहुँच अथवा प्रयोग से रोकना, उसे कोई रोजगार करने से रोकना अथवा बाधा डालना, किराए के मकान वाले मामले में किराए का भुगतान न करना, महिला के जानकारी और सहमति के बिना उसके स्त्रीधन तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना, जबरदस्ती उसका वेतन, आय या मजदूरी ले लेना, बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना शामिल है।*

इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कवर होता है?

इस अधिनियम में ऐसी सभी महिलाएं कवर होती हैं जोकि किसी साझे घर में माँ, बहन, पत्नी, विधवा अथवा साझेदार के विरुध्द शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए सास अपनी बहू के विरुध्द कोई शिकायत नही कर सकती है किन्तु वह अपनी बहू के खिलाफ उसके साथ हिंसा करने के लिए उसके बेटे की सहायता करने की शिकायत कर सकती है।

शिकायत कौन कर सकता है?

- *कोई भी महिला जिसके साथ दोषी द्वारा घरेलू हिंसा की जा रही हो या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है।*
- *कोई बच्चा भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत का पात्र है । ऐसे बच्चे की माँ अपने अवयस्क बच्चे (चाहे पुरुष हो अथवा महिला) की ओर से आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ माँ अदालत में स्वयं के लिए आवेदन करती है वहाँ बच्चों को भी सह - आवेदक के रुप में जोडा जा सकता है।*

किस के विरुध्द शिकायत की जा सकती है?

- *कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जिसका किसी महिला के साथ घरेलू संबंध है।*
- *पति अथवा पुरुष भागीदार के सम्बन्धी ।*
- *इसमें पुरुष के पुरुष तथा महिला दोनों संबंधी शामिल है।*

सूचना किसे दी जा सकती है अथवा शिकायत किससे की जा सकती है?

सूचना अथवा शिकायत किसी पुलिस अधिकारी/ सुरक्षा अधिकारी/ सेवा प्रदाता (कोई एनजीओ) अथवा मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है।

घरेलू सम्बन्ध क्या हैं?

- *ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य संबंध जो साथ रहते हैं अथवा किसी समय एक साझे में साथ रहे थे।*
- *इसमें सगोत्रता, विवाह, विवाह की प्रकृति वाला सम्बन्ध शामिल है।*
- *साझा परिवार वह परिवार है जहाँ कोई महिला किसी पुरुष के साथ घरेलू संबंध में रहती है। राहत के लिए प्रार्थना करते समय अवह साझे परिवार में नही भी रह रही हो सकती है परन्तु जब तक घरेलू सम्बन्ध मौजूद है वह घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत की अधिकारी है।*
- *घरेलू संबंध में प्रत्येक महिला के साझे परिवार में रहने का अधिकार है भले ही उसका उसमें कोई अधिकार, स्वामित्व या हित न हो।*

एक साझे परिवार में निवास करने का अधिकार

आश्रयगृह तथा चिकित्सा सहायता हेतु प्रावधान

कोई व्यथित महिला अथवा उसकी ओर से बचाव अधिकारी या सेवा प्रदाता आश्रयगृह के प्रभारी अथवा किसी चिकित्सा सुविधा से उसे आश्रय या चिकित्सा सहायता मुहैया करवाने का अनुरोध कर सकता है।

मजिस्ट्रेट को आवेदन कौन दे सकता है?

- *कोई व्यथित व्यक्ति या*
- *कोई सुरक्षा अधिकारी या*
- *व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।*
- *घरेलू हिंसा की पीडित महिला को सभी सहायता प्रदान करना बचाव अधिकारी और सेवा प्रदाता का कर्तव्य है।*

अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जा सकने वाले आदेश ड्ड

मजिस्ट्रेट निम्नलिखित आदेश दे सकता है-

१. *प्रतिवादी और व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्त रुप से परामर्श लेने का निर्देश दें ।*
२. *यह निर्देश दे कि महिला को परिवार अथवा उसके किसी भाग से निकाला अथवा अलग नही किया जाएगा ।*
३. *यदि आवश्यक समझा जाए तो कार्यवाही को गुप्त रुप से किए जाने के निर्देश भी दिए जा सकते है।*
४. *महिला को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए सुरक्षा आदेश जारी करना।*
५. *घरेलू हिंसा के परिणामस्वरुप महिला अथवा उसके किसी बच्चे द्वारा किए गए व्यय और हुई हानि को पूरा करने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना।*
६. *आभिरक्षा आदेश देना अर्थात व्यथित व्यक्ति को किसी बच्चे या बच्चों की अस्थाई अभिरक्षा।*
७. *प्रतिवादी द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्यों, जिसमें मानसिक यातना तथा भावनात्मक तनाव शामिल है, द्वारा उत्पन्न चोटो हेतु मुआवजा/ क्षतिपूर्ति देना।*

मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश का उल्लघंन एक अपराध है जोकि कानून के अंतर्गत दण्डनीय है।

- *यह अधिनियम मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त है।*
- *व्यथित व्यक्ति के पास भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९८ ए के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।*
- *घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत राहत को अन्य कानूनी कार्यवाहियों अर्थात तलाक, अनुरक्षण हेतु याचिका, भारतीय दंड संहिता की धारा ४९८ ए में भी माँगा जा सकता है।*

घरेलू घटना रिपोर्ट (डीआईआर)

- *घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त होने पर बचाव अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता को एक डीआईआर (घरेलू हिंसा अधिनियम में दिए गए अनुसार) तैयार करने होती है और उक्त को मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होता है तथा उसकी प्रतियाँ संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी को भी दी जाती है।*
- *यदि महिला ऐसी इच्छा करती है तो बचाव अधिकारी अथवा सेवा प्रदाता महिला को राहत हेतु आवेदन दायर करने में सहायता कर सकते है और ऐसे आवेदन के साथ डीआईआर की प्रति संलग्न होनी चाहिए।*

अवैध मानव व्यापार के संबंध में जानने योग्य बातें -

- महिलाओं तथा बच्चों के अवैध मानव व्यापार में जबरदस्ती देह व्यापार शामिल है।
- लाभ हेतु भर्ती करने वाले अथवा अवैध मानव व्यापार करनेवाले महिलाओं तथा बालिकाओं को यौन अथवा आर्थिक रुप से दमनकारी और शोषणकारी स्थितियों तथा साथा ही अन्य अवैध क्रियाकलापों में भेजने के लिए बाध्य करते हैं ।
- महिलाएं तथा बालिकाएं विशेष रुप से संवेदनशील हैं ।
- अवैध मानव व्यापारियों/एजेंटों के कार्य करने का तरीका निम्नलिखित है-
- रोजगार अथवा विवाह के वायदे आम तकनीक हैं जिनसे भर्ती करने वाले अपने शिकार को घर छोडने के लिए लुभाते हैं।
- अपहरण करना।
- गाँव की लडकियों तथा उनके परिवारों को अक्सर एजेंटों । दलालों द्वारा धोखा दिया जाता है जो उन्हें विवाह तथा आधुनिक शहरी जीवन की सारी सुख - सुविधाओं को लालच देते है। वे एक स्थानीय समारोह करके गाँव से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते । ऐसी लडकियाँ अन्ततः वेश्यालयों में पहुँच जाती हैं।
- कभी - कभी वे लडकियों से शहर में रोजगार दिलाने का भी वायदा करते है।
- एक अन्य तरीका किसी दूर के सम्बन्धी अथवा मित्रों के माध्यम से होता है जो किसी अन्य गाँव में किसी संबंधी अथवा मित्र के साथ विवाह करवाने का बहाना करते हैं जबकि लडकी को अगवा करके उसे किसी वेश्यालय में भेज देते हैं।

प्रभाव

- शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य समस्याएं ।
- इन समस्याओं मे जन्म नियंत्रण, लगातार बलात्कार, शारीरिक दुर्व्यवहार और अन्य स्वास्थ्य मुद्दे शामिल हैं।
- जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में लाई गई महिलाओं को एचआईवी/एडस सहित यौन जनित संक्रमण का जोखिम होता है।

कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान

- 'वेश्यावृत्ति' का अर्थ है पैसे कमाने के लिये व्यक्तियों का यौन शोषण अथवा उनके साथ दुव्यर्वहार ।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला अथवा लडकी से वेश्यावृत्ति करवाना है अथवा किसी महिला या लडकी को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रेरित करता है, वह एक अपराधी है।
- किसी ऐसे परिसर में जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती हो वहाँ किसी महिला अथवा लडकी को रखना कानूनन दण्डनीय है।
- कोई भी व्यक्ति जो किसी वेश्यालय की व्यवस्था करता है अथवा उसकी व्यवस्था करने में सहायता करता है, वह अपराधी है।
- १८ वर्ष की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति जो पूर्णताः अथवा आंशिक रुप से किसी महिला अथवा लडकी की वेश्यावृत्ति से प्राप्त होनेवाली आय पर अपनी आजीविका चलाता है, वह कानूनन दण्ड का भागीदार है।

गौरव जैन बनाम भारत संघ तथा अन्य १९८८ की रिट याचिका संख्या (सी) ८२४ के साथ १९९० की रिट याचिका (अपराधिक) संख्या ७४५-७५४/५४ में उच्चतम न्यायालय ने पाया था कि देह व्यापार में लिप्त पाई जाने वाली महिला को हमारे समाज में अपराधी के बजाए प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के शिकार के रुप में देखा जाना चाहिए। देह का वाणिज्यिक उपयोग एक अपराध माना जा सकता है परन्तु प्रथा अभिमुख वेश्यावृत्ति और लिंग अभिमुख वेश्यावृत्ति में फंसे हुए लोगों को पीडित के रुप में देखा जान चाहिए। विशेष रुप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्रा के क्षेत्रों मे क्रमशः देवदासी, जोगिन तथा वेंकटासिन के व्यवहार में प्रथा के रुप में महिलाओ की वेश्यावृत्ति सेवा में परिणत होता है। यह मानवता के प्रति एक अपराध है, मानवधिकार का उल्लंघन है और संविधान तथा मानवाधिकार अधिनियम के विपरीत है। इस व्यवहार को करने वाले रुढिवादी तथा संवैधानिक अपराधी है। तर्कहीन प्रथाओं की कोई कानूनी स्वीकृति नही होती है।

लिंग चयन/भ्रूण में लिंग का निर्धारण

याद रखने योग्य बातें -

- प्रसव से पूर्व तथा इसके पश्चात लिंग चयन प्रतिबंधित है।
- लिंग चयन का अर्थ यह सुनिश्चित करने के लिए भ्रुण किसी विशेष लिंग का होगा, किसी प्रक्रियाविधी, तकनीक, परीक्षण तथा सलाह का कोई रुप शामिल है।
- कोई स्त्री रोग अथवा चिकित्सा प्रक्रियाविधी जैसे कि अल्ट्रासाउंड आदि जो कि कानून द्वारा नियंत्रित है।
- भ्रूण के लिंग के निर्धारण के प्रयोजन हेतु किसी भी महिला पर कोई प्रयोगशाला, अस्पताल, क्लीनिक अथवा चिकित्सक परीक्षण नहीं कर सकता है।

भ्रूण के लिंग की जानकारी देना, कानूनन अपराध है।

- ऐसा करने वाला किसी व्यक्ति को कानून के अंतर्गत दण्ड दिया जा सकता है।
- किसी महिला को उसके पति अथवा किसी संबंधी द्वारा भ्रूण के लिंग निर्धारण हेतु ऐसे किसी परीक्षण को करने के लिए बाध्य नहीं किय जा सकता है।
- शब्द क्रिया आदि द्वारा किसी भी तरीके से भ्रूण के लिंग को बताना कानून के अंतर्गत दण्डनीय है।
- यह बालिका के प्रति भेदभाव है।
- यह एक अनैतिक चिकित्सा व्यवहार भी है।
- इसके प्रतिकूल सामाजिक - आर्थिक तथा स्वास्थ्य प्रभाव होते है।
  - महिला का स्वास्थ प्रभावित होता है क्योंकि उसे कई बार गर्भवती होने तथा गर्भपात कराने के लिए बाध्य किया जाता है।
  - समाज में महिलाओं की घटती हुई संख्या से यौन - संबंधित अपराधों और महिलाओं के प्रति हिंसा में वृध्दि होती है।
  - ऐसे असंतुलनों की कई सामाजिक समस्याओं जैसे कि दहेज, बाध्यकारी बहुपतित्व, बलात्कार, बाल विवाह , वधू को बेचा जाना और विवाह हेतु महिलाओं के अपहरण में भी वृध्दि करने की संभावना होती है।

चिकित्सकीय रुप से गर्भपात

- गर्भपात कुछ परस्थितियों अंतर्गत वैध है परन्तु यह कानून के अनुसार किया जाना चाहिए।
- किसी महिला को गर्भपात करने के लिए बाध्य करना एक अपराध है।

गर्भपात वैध कब होता है?

- *यदि गर्भावस्था को जारी रखने में माँ के जीवन को जोखिम अंतर्ग्रस्त हो।*
- *गर्भावस्था को जारी रखने से माँ के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति हो सकती हो।*
- *गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई हो।*
- *यदि बच्चा जन्म लेता है तो वह अत्यधिक विकृत होगा।*
- *दम्पति द्वारा अपनाई गई परिवार नियोजन की कोई पध्दति असफल रही हो।*

गर्भपात कौन करवा सकता है?

- *यह केवल किसी सरकारी अस्पताल में अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अस्पताल या क्लीनिक में किया जा सकता है।*
- *केवल एक दक्ष चिकित्सक ही गर्भपात करने के लिए प्राधिकृत है।*
- *दाइयो, नर्सो अथवा नीम-हकीम द्वारा किया गया गर्भपात अवैध है।*

गर्भपात कब करवाया जा सकता है?

• *गर्भपात, गर्भधारण से १२ सप्ताह पूरे होने से पहले करवाया जा सकता है।* • *यदि गर्भावस्था १२ सप्ताह से अधिक की हो जाती है तो दो चिकित्सकों के परामर्श पर ही गर्भपात करवाया जा सकता है।* • *गर्भधारण के २० सप्ताह से अधिक होने पर गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है ।*	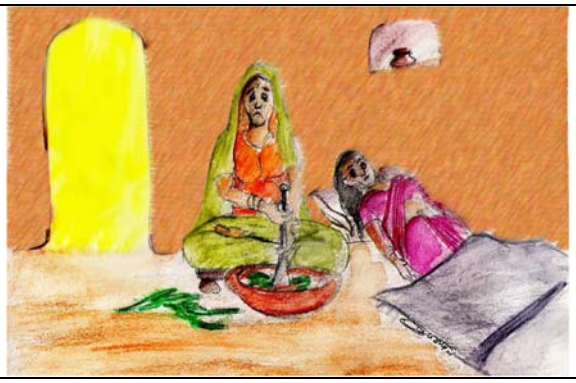

महिला की आजादी का सच

आज स्त्रियां महंगाई व आधुनिकता के कारण खर्चों की पूर्ति के लिए पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, वह अपनी अर्धांगिनी होने का फर्ज निभा रही है, लेकिन वही पुरुष स्त्रियों की जिम्मेदारियों को बाटने में अपने पुरुषत्व का अपमान मानते हैं । क्या यह दोहरी मानसिकता नहीं है? और ये महिलाओं के लिए आजादी का कैसा सच है।

कार्य स्थल पर यौन उत्पीडन

- यौन उत्पीडन तब हुआ माना जाएगा जब -
- कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक अतरंगता / संपर्क के अनचाहे कृत्य को करता है जैसे कि पकडना, रगड खाना, छूना, पिंच करना, फब्तियाँ कसना आदि।
- किसी व्यक्ति से सीधे तौर पर अथवा अप्रत्यक्ष रुप से यौन सम्बन्धों की अवांधित मांग करना।
- किसी व्यक्ति को चित्र / कार्टून / पिन -अप/ कलेन्डर/ स्क्रीन सेवर वर्जन वाले कम्प्युटरों/ किसी आपत्तिजनक लिखित सामग्री/ पोर्नोग्राफिक ई-मेल आदि के माध्यम से यौन बहुलता वाली सामग्री प्रदर्शित करना अथवा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय कृत्य करना।
- फब्तियाँ कसना, ऐसे चुटकले सुनाना जो असमन्जस्य वाली स्थिति अथवा लज्जा उत्पन्न करते हो, सांकेतिक टिप्पणी, यौन टिप्पणियाँ करना।

कार्य स्थल क्या है?	
• सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में सभी कार्य सन्सथाऐं, निर्माण स्थल, फैक्ट्री, शैक्षणिक संस्थान, खान आदि कार्य स्थल हैं।	

आपको क्या करना चाहिए?

- उत्पीडन करने वालों को उसके कृत्यों के लिए सजा दिलवाएं । लोगों को पता चले कि उसने क्या किया था।
- उत्पीडन पर आपत्ति करना एक सिध्दान्त तथा महिला के अधिकार का मामला है।
- उत्पीडन करने वाले के बहाने अथवा भटकाने वाली कोशिशों का प्रतिउत्तर न दें ।
- बोलना - यौन उत्पीडन के संबंध में बोलना इसे रोकने के लिए एक प्रभावी अस्त्र है । यह इसके विरुध्द जनमत को जुटाता है।
- ऐसे उत्पीडन को तत्काल अथवा जितना शीघ्र सम्भव हो अपने वरिष्ठ अधिकारी अथवा पुलिस को सूचित करें अथवा किसी एनजीओ की सहायता लें ।

भारत में महिलाओं के सम्पति अधिकारतथा भरण - पोषण

स्त्रियों के संपत्ति अधिकार : कितने व्यावहारिक

भारत में महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार हिन्दू उत्तरधिकार अधिनियम

१९५६, भारतीय उत्तरधिकार अधिनियम १९२५, मुस्लिम पर्सनल लॉ तथा अन्य समुदायों से सम्बन्धित पर्सनल कानूनों द्वारा संचालित होते रहे है । कानून द्वारा भारतीय महिला को बरावरी के अधिकार दिए जाने के बावजूद महिलाएं इस अधिकार से वंचित है - कारण कभी धर्म, परम्परा और समाज है, कभी पारिवारिक सम्बन्धों को मधुर बनाए रखने के तहत पैतृक सम्पत्ति में अधिकार मांगने की बेटियों की अपनी अनिच्छा । हिन्दू उत्तरधिकार कानून की तरह महज एक कागजी कानून बनकर न रह जाए। इस कानून के तहत एक जागरुकता अभियान की भी जरुरत है जिसके तहत एक जागरुकता अभियान की भी जरुरत है जिसके तहत स्त्रियों को यह जानकारी हो -

- कि अब बेटियों को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में जन्म लेने के कारण अपना हिस्सा मिल सकेगा, उतना ही जितना उसके भाई को मिलेगा।
- कि वे संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा कभी भी बेच सकती है।
- कि वे संयुक्त परिवार की कर्ता की हैसियत से रह सकती हैं।

इस विधेयक में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया है, वह है कृषि क्षेत्र - जो राज्य सरकार के आधीन है । इस क्षेत्र में असमानता अधिक है और यह अपेक्षाकृत वृहद क्षेत्र है। झारखंड के कुछ आदिवासी इलाकों में बेटियों के लिए ताबेन जोम (जमीन का हिस्सा) की प्रथा सदियों से चली आ रही है। जरुरी है कि सभी खेतिहर इलाकों में स्त्री पुरुष में असमानता के दर्जे को समाप्त किया जाए। सम्पत्ति अधिकार या स्त्रीधन के व्यावहारिक रुप को देखें तो इसका सीधा टकराव एक स्त्री के भावनात्मक पक्ष से होता है। आत्मसम्मान पर की गई चोट को न झेल पाना भी इसी का एक हिस्सा है। अपने घर से बच्चे की उंगली पकडकर बस दो कपडों मे बाहर निकल आने वाली औरतों की महिला सलाहकार केंद्रों में भरमार है। उन औरतों के दिमाग में यह विचार भीतर तक जडें जमा चुका होता है कि पुरुष चूंकि अर्थ कमाता है इसलिए वह घर का कर्ता धर्ता और सर्वेसर्वा है। आर्थिक रुप से अपना कोई योगदान न देकर वे घर के फर्ष - दीवारों और रसोई में पकते खाने पर से भी अपना अधिकार बिना क्इसी हील - हुज्जत के खो बैठती हैं। उन्हें लगता है कि उम्र के किसी भी पडाव में पिता/पति / भाई उन्हे घर से बेघर कर सकता है? एक गृहिणी के रुप में घर को सुचारु रुप से चलाना या बच्चों की देखभाल करना उन्हें एक नाशुक्र काम लगता है । इन कामों के एवज में पैतृक या पति की सम्पत्ति पर उसका जायज अधिकार है, यह बात उनके जेहन में अपनी जगह नहीं बना पाती? पति गुस्से में आकर अक्सर अपनी पत्नी पर अपने कमाने का रुआब दिखाता है या घर के खर्च को लेकर ताने देता या मार पीट करता है तो औरत के आत्म सम्मान को ऐसी ठेस लगती है कि वह अपना सम्पत्ति अधिकार छोडकर तमक कर बाहर आ जाती है और जिन्दगी की क्रुर वास्तविकताओ। से लडने भिडने और अपनी जगह खुद बनाने पर उतारु हो जाती है। अक्सर उम्रदराज पुरुष स्त्री के अहं को ठेस लगने वाली इस स्थिती का भरपूर फायदा उठाते हैं और अपनी पत्नी को कानून स्वीकृति मिलने के बावजूद स्त्रोयों में अपने सम्पत्ति अधिकारों को लेकर जागरुकता नहीं के बराबर है। एकबार घर में अपना अधिकार छोडकर बाहर निकल आई स्त्री को दुबारा अधिकार पाने के लिए उसी घर में अपना हक जताने में कई गुना अधिक मेहनत करनी पडती है इसलिए जरुरी है कि स्त्रियों मे सम्पत्ति अधिकारों को लेकर जागरुकता का प्रसार किया जाए।

गांवो, कस्बों में ही नहीं, शहरों में भी स्त्रियां अपनी पैतृक सम्पत्ति में अपना हिस्सा अपने भाइयों के नाम करने में जरा भी नही हिचकतीं । अपने इस कार्य को सम्पन्न कर वे अपनी नजरों मे महिमामंडित हो उठती हैं और उन्हे ताउम्र भाई की कलाई पर राखी बांधना, पैतृक सम्पत्ति पर से अपना

अधिकार जमाने से कहीं अधिक आश्वस्त करता है। स्त्री के इस भावनात्मक पक्ष की कमजोरी का पिछली पीढी के पुरुष समाज ने अक्सर फायदा उठाया है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण आज की लडकियों की युवा पीढी में आवश्य कुछ बदलाव लक्षित हो रहे हैं बदलाव के यह संकेत आशान्वित करते है।

इसका एक समानांतर पक्ष है दहेज प्रथा का संपूर्ण विस्थापन । आज महानगरों में लडकियाँ कई क्षेत्रों में लडकों के समकक्ष ही नहीं, उनसे अधिक प्रतिभावान है और सफलता के नये प्रतिमान गढ रही है आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर लडकियों को दहेज के इच्छुक प्रत्याशियों को बिरादरी बाहर करना होगा तभी समानता और संतुलन कायम हो सकेगा।

पुत्री

- *उत्तराधिकार में पुत्री का अंश पुत्र के अंश का आधा होता है इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए है कि एक महिला पुरुष के आधे के बराबर होती है।*
- *तथापि, उसका अपनी सम्पत्ति पर सदैव पूर्ण नियंत्रण होता है। कानूनी रुप से वह अपने जीवनकाल अथवा अपनी मृत्यु पर अपनी इच्छानुसार उसका प्रबन्धन, नियंत्रण अथवा निपटान कर सकती है ।*
- *यद्यपि उसे जिस व्यक्ति से उत्तराधिकार प्राप्त होना है, उससे उपहार प्राप्त हुए होंगे पर इस पर कोई संदेह नहीं है कि उपहार उत्तराधिकार कानूनों में पुरुष के अंश का एक तिहाई रोकने का एक साधन है क्योंकि मुस्लिम कानून के अंतर्गत उत्तराधिकार के अंश का काफी कडाई से पालन होता है।*
- *पुत्रियों को माता-पिता के घरों में निवास तथा साथ ही साथ भरण-पोषण का अधिकार है जब तक कि उनका विवाह नहीं हो जाता । तलाक के मामले में भरण - पोषण हेतु प्रभार इददत अवधि (लगभग ३ माह) के पश्चात उसकी पितृ परिवार पर आ जाता है। यदि उसके पास उसका भरण - पोषण कर सकने वाले बच्चे हैं तो यह भार उन पर आ जाता है।*

पत्नी

- *इस्लामिक कानून में किसी महिला की पहचान यद्यपि पुरुष के स्तर से निम्न है फिर भी विवाह होने पर यह पूर्णतः समाप्त नहीं होती है।*
- *इस प्रकार उसका अपनी वस्तुओं तथा सम्पत्ति पर नियंत्रण बना रहता है। उसके पास अन्य पत्नियों, यदि कोई हो, को दिए जाने वाले भरण-पोषण के समान ही प्राप्त करने का अधिकार है और यदि वह उसके साथ भेद-भाव करता है तो पत्नी अपने पति के विरुध्द कार्रवाई कर सकती है।*
- *उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि तलाक के मामले में एक मुस्लिम पति को तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए तर्कसंगत तथा उचित प्रावधान करना चाहिए जिसमें स्पष्ट रुप से उसका भरन-पोषण भी शामिल होता है। इददत अवधि के पश्चात विस्तारित ऐसा तर्कसंगत तथा उचित प्रावधान पति द्वारा मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की रक्षा) अधिनियम, १९८६ की धारा ३ (१ एच ए) के अंतर्गत इददत अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और भरण - पोषण अदा करने की मुस्लिम पति की देयता इद्दत अवधि तक सीमित नहीं है ।*

- *विवाह के समय सहमत अनुबंध की शर्तों के अनुसार 'मेहर' का अधिकार ।*
- *पत्नी को पति के सम्पत्ति में से यदि बच्चे हों तो १/८ वाँ भाग और यदि बच्चे न हों तो एक /चौथाई भाग उत्तराधिकार में मिलेगा । यदि एक से अधिक पत्नी हैं तो यह अंश कम होकर १/१६ वाँ भाग हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ कानून द्वारा विहित किए अनुसार सम्पदा में कोई अंशधारी नही है, वहाँ पत्नी को वसीयत द्वारा अपनी एक/तिहाई सम्पत्ति का निपटान कर सकता है, यद्यपि ऐसा उत्तराधिकार में अंशधारक को नही जा सकता है।*

माँ

- *तलाकशुदा अथवा विधवा के मामले में वह अपने बच्चों से भरण-पोषण प्राप्त करने की पात्र हैं।*
- *उसकी सम्पति को मुस्लिम कानून के नियमों के अनुसार विभाजित किया जाएगा।*
- *उसे अपने मृतक बच्चे की सम्पदा का १/६ ठा भाग उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार है।*

ईसाई कानून

पुत्री

- *उत्तराधिकार में पुत्री को अपनी पिता अथवा माता की सम्पदा में से अपने अन्य भाइयों तथा बहनों के समान अंश मिलता है।*
- *विवाह से पूर्व अपने माता - पिता से आश्रय, भरण-पोषण की पात्र है परन्तु विवाह के पश्चात नहीं ।*
- *वयस्क होने पर उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार । वयस्क न होने तक उसका प्राकृतिक संरक्षक पिता होगा।*

पत्नी

- *वह अपने पति से भरण-पोषन प्राप्त करने की अधिकारी है परन्तु उसे मुहैया करवाने में विफलता स्वयं में तलाक हेतु आधार नहीं होगी ।*
- *अपने पति की मृत्यु पर वह सम्पत्ति के एक /तिहाई भाग के पात्र होगी और शेष को बच्चों के मध्य समान रुप से विभाजित किया जाएगा।*
- *यह मानते हुए कि उसके पति की सम्पदा १०,००० रुपए से अधिक की थी तो उसे न्यूनतम ५,००० रुपए उत्तराधिकार में मिलने चाहिए। ऐसा न होने के मामले में उसे सारी सम्पदा मिल जाएगी।*

माँ

वह अपने बच्चों से भरण-पोषन प्राप्त करने की पात्र नहीं है । यदि उसके किसी बच्चे की मृत्यु बिना जीवन-साथी अथवा बिना किसी जीवित बच्चे के हो जाती है तो वह उसकी परिसम्पतियों में से एक - चौथाई उत्तरधिकार में प्राप्त कर सकेगी।

हिन्दू कानून

पुत्री

- *पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का उत्तराधिकार का अंश पुत्रो के समान होता है।*
- *पुत्र की उसकी माँ की सम्पत्ति में भी हिस्सेदारी होती है।*
- *हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, २००५ (२००५ का ३९) ९ सितम्बर, २००५ से प्रभावी हुआ है। यह संशोधन अधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में लैंगिक विभेदकारी प्रावधानों को समाप्त करता है और पुत्रियों को निम्नलिखित अधिकार देता है -*
    - ❖ *किसी सह-समांशी की पुत्री का जन्म से ही पुत्र के समान ही सह-समांशी अधिकार होगा;*
    - ❖ *सह-समांशी सम्पत्ति में पुत्री के वही अधिकार होंगे जो उसके पुत्र होने पर होते;*
    - ❖ *पुत्री की उक्त सह - समांशी सम्पत्ति में किसी पुत्र के समान ही देयता होगी;*
    - ❖ *पुत्री को भी उतना ही अश दिया जाता है जितना किसी पुत्र को;*
- *विवाहित पुत्री का अपने माता-पिता के घर में न तो आश्रय का और न ही भरण-पोषण का कोई अधिकार होता है, उक्त को उसके पति से वसूला जाता है। तथापि, परित्यक्त किए जाने, तलाकशुदा अथवा विधवा होने पर एक विवाहित पुत्री का भी निवास का अधिकार होता है।*
- *किसी महिला का उसके द्वारा अर्जित की गई अथवा उसे उपहार में या वसीयत में दी गई सम्पत्ति पर पूरा अधिकार होता है बशर्ते वह वयस्क हो। वह उसे बिक्री, उपहार अथवा वसीयत, जैसा वह उचित समझे, के द्वारा निपटान के लिए स्वतंत्र है।*

पत्नी

- *एक विवाहित महिला का अपने व्यक्तिगत सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। जब तक वह आंशिक रुप से अथवा पूर्ण रुप से इसे किसी को उपहार में न दे वह अपनी परिसम्पत्तियों, चाहे अर्जित हों, उत्तराधिकार में प्राप्त हों अथवा उपहार दी गई हों, की एक मात्र स्वामी एवं प्रबंधक होगी।*
- *वह अपने पति से भरण-पोषण, सहायता तथा आश्रय की पात्र है और यदि उसका पति किसी संयुक्त परिवार से सम्बध्द हो तो उस परिवार से इन सभी को प्राप्त करने की पात्र है।*
- *अपने पति तथा पुत्रों के मध्य संयुक्त परिवार की सम्पदा के विभाजन पर वह किसी अन्य व्यक्ति के समान ही अंश प्राप्त करने की पात्र है। इसी प्रकार अपने पति की मृत्यु पर वह अपने बच्चों तथा पति की माँ के साथ पति के भाग में से एक समान अंश की पात्र है।*

माँ

- *वह अपने उन बच्चों से भरण - पोषण करने की पात्र हैं जो आश्रित नही है। वह एक श्रेणी -१ की उत्तराधिकारी भी है।*
- *यदि पुत्रों के मध्य संयुक्त परिवार की सम्पदा का विभाजन किया जाता है तो किसी विधवा माँ को अपने पुत्र के अंश में समान अंश में समान अंश प्राप्त करने का अधिकार है।*

- *उसके स्वामित्व वाली सारी सम्पत्ति का बिक्री, वसीयत अथवा उपहार, जिसका भी वह चुनाव करती है, के माध्यम से निपटारा किया जाएगा।*
- *उसकी मृत्यु बिना वसीयत के होने के मामले में उसके बच्चे लिंग पर निर्भर न करते हुए समान रुप से उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे ।*

भरण - पोषण

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १२५ पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता के लिए भरण - पोषण का प्रावधान करती है।

यदि पर्याप्त साधन होने वाला कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी अनदेखी करता है अथवा उनके भरण-पोषण से इन्कार करता है-

(क) उसकी पत्नी, जोकि स्वयं का भरण - पोषण करने में असमर्थ है, अथवा

(ख) उसका कानूनी अथवा गैर-कानूनी अवयस्क बच्चा,

(ग) उसके पिता अथवा माता, जोकि स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है

ऐसे मामलों में अदालत सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी पत्नी, बच्चे अथवा माता- पिता के भरण - पोषण हेतु एक मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकती है।

- *आदेश प्रथम श्रेणी के किसी मजिस्ट्रेट अन्तरित भरण-पोषण हेतु मासिक भत्ते तथा कार्यवाही के व्यय हेतु आवेदन को आवेदन दिए जाने की तिथि से ६० दिवस के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।*
- *'पत्नी' में ऐसी महिला भी शामिल है जिसे तलाक दिया जा चुका हो अथवा जिसने अपने पति से तलाक ले लिया हो तथा पुनर्विवाह न किया हो ।*
  कानून मानता है कि कोई विवाह समारोह वैध है तथा प्रत्येक व्यक्ति भी वैध है । विवाह अथवा पुत्रत्व (पितृत्व) को माना जा सकता है, कानून आमतौर पर अवगुण तथा अनैतिकता के विरुध्द मानकर चलता है। अदालतों को ध्यानपूर्वक इसका भी परीक्षण करना चाहिए कि रक्त जाँच के आदेश दिए जाने के क्या परिणाम होंगे, क्या यह बच्चे को एक अवैध सन्तान अथवा माँ को एक कलंकित महिला ठहराए जाने में परिणत होगा। 'जहाँ तक याचिकाकर्ता की पत्नी का सम्बन्ध है, एक अवयस्क बच्चे तथा उसकी माँ का भरन-पोषण तथाकथित अवैध होने के निर्धारण तक प्रतीक्षा नही कर सकता है और यदि पुरुष को भुगतान करने योग्य पाया जाए तो इसके लिए आदेश शीघ्रता से दिए जाने चाहिए।

नि:शुल्क कानूनी सहायता

❖ विधिक सेवाएं - अर्थ

- नि:शुल्क कानूनी सहायता को यह सुनिश्चित करने के लिए मुहैया करवाया जाता है कि आर्थिक अथवा अन्य असमर्थताओं के कारण से किसी नागरिक को न्याय से वंचित होने का अवसर न मिले।
- कानूनी सेवाओं में किसी न्यायालय के समक्ष किसी मामले अथवा अन्य कानूनी कार्यवाहियों को करने में कोई भी सेवा प्रदान करना शामिल होता है।

❖ नि:शुल्क कानूनी सेवाएं देने हेतु पात्रता-

कोई व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता, कानूनी परामर्श अथवा नि:शुल्क कानूनी सेवाओं का पात्र तब होगा यदि वह व्यक्ति -

क. अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बध्द हो ख. मानव व्यापार अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बध्द हो ग. कोई महिला अथवा बच्चा हो घ. मानसिक रोगी अथवा अन्यथा निशक्त व्यक्ति हो ड. बडी आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ, सूखे, भूकंप अथवा औद्योगिक आपदा का पीडित हो च. कोई औद्योगिक श्रमिक हो छ. हिरासत में होने वाला कोई व्यक्ति हो	 किसी वकील की सेवाएं लेना

➢ कानूनी सेवाएं प्राप्त करना

- जिस व्यक्ति को कानूनी सहायता मुहैया कारवाई जा रही है उसके द्वारा मुकदमेंबाजी पर कोई भुगतान किया जाना अपेक्षित नहीं होता है। मुहैया कराई जाने वाली कानूनी सेवाओं में निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक शामिल हो सकते हैं -

(क) किसी भी कानूनी कार्यवाही के सम्बन्ध में देय अथवा व्यय किए जाने वाले अदालत शुल्क अथवा अन्य सभी प्रभार;

(ख) किसी कानूनी कार्यवाही में किसी विधिक प्रैक्टीशनर द्वारा किसी कानूनी कार्यवाही अथवा अभ्यावेदन के
प्रारुपण, तैयार करने तथा दायर करने हेतु प्रभार;

(ग) कानूनी कार्यवाही में निर्णय,आदेश तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने तथा देने की लागत:

(घ) कानूनी कार्यवाहियों में पेपर बुक (जिसमें कागज, मुद्रण तथा दस्तावेजों का अनुवाद शामिल है) और तत्संबंधी प्रासंगिक कार्यो को तैयार करने की लागत ।

- प्रत्येक राज्य तथा जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित किए गए है।
- तालुका अथवा मंडल विधिक सेवा समितियाँ गठित की गई है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वह केन्द्रीय प्राधिकरण है जो विभिन्न योजनाओं को लागू करता है जैसेकि लम्बित मामलों के निपटान हेतु लोक अदालतें, कानूनी साक्षरता तथा जागरुकता अभियान, जेलों में कानूनी सहायता सुविधाएं आदि।
- विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालयों में सम्पर्क करना होता होता है जहाँ कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

एचआईवी - एडस के साथ जीवन जी रहे लोगों के अधिकार (पीडब्ल्यूए)

- *एचआईवी का अर्थ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेन्सी वायरस होता है।*
- *यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। यह रोगों से लडने में शरीर की प्राकृतिक क्षमता को समाप्त कर देता है और टीबी, निमोनिया, डाइरिया आदि जैसे आम संक्रमंक रोग लग जाते है। एड्स एचआईवी संक्रमण का अंतिम चरन है जो मृत्यु में परिणत होता है।*

❖ ***एड्स क्या है?***

- *एड्स का अर्थ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेन्सी सिन्ड्रोम होता है।*
  एक्वायर्ड - जो अनुवांशिक नहीं है
- *इम्यून - संक्रमणों से लडने के लिए मानव शरीर का रक्षा तंत्र*
- *डेफिशियेन्सी - प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना*
- *सिन्ड्रोम - लक्षणों का एक समूह*

एच आईवी संक्रमण के चरण

चरण - १(प्राथमिक / संक्रमण)

यह संक्रमण के समय प्रारम्भ होता है और तब तक रहता है जब तक कि शरीर के प्रारम्भिक प्रतिरक्षा प्रतिउत्तर वाइरल की प्रतिकृति बनने पर कुछ नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं (कुछ ही सप्ताह का समय) । यह एक अत्यधिक संक्रमण वाली अवधि है। इस अवधि के दौरान रक्त की किसी जाँच में एचआईवी एंटी-बॉडीज की मौजूदगी का पता नहीं चलता है।

चरण -२ (रोग सूचक न होने वाली स्थिति)

इस चरण के दौरान एचआईवी एंटी-बॉडीज को रक्त प्रवाह में देखा जा सकता है। संक्रमित व्यक्ति चिकित्सकीय रुप से स्वस्थ रहता है और कोई लक्षण नहीं दिखते। यह रोग सूचक न होने वाली अवधि तीन माह जितने कम से १५ वर्ष जितने अधिक समय के लिए रह सकती है जोकि रोगियों के प्रतिरक्षा शक्ति पर निर्भर करता है।

चरण-३ (रोग सूचक होने वाली स्थिति)

एचआईवी प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं के एक सब-सेट को नष्ट कर देता है। नष्ट की गई कोशिकाओं की प्रतिस्थापन दर इन कोशिकाओं की हानि की दर जितनी नही हो सकती है। इन कोशिकाओं की हानि किसी व्यक्ति को विविध अवसरवादी संक्रमणों जैसे क्षय रोग, कैन्डीडियासिस, हरपीस आदि के प्रति संवेदनशील बना देती है। यह एचआईवी संक्रमण के अंतिम चरण अर्थात क्लीनिकल एड्स का प्रारम्भ होता है।

एचआईवी/एड्स किस प्रकार फैलता है?

एचआईवी/के संचारण के तरीके केवल निम्नलिखित हैं-

- *किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन सम्बन्ध*
- *एचआईवी संदूषित सिरिंज/सुई का उपयोग*
- *एचआईवी संक्रमित रक्त को चढाया जाना*
- *गर्भावस्था, बच्चे के जन्म अथवा स्तनपान के दौरान एचआईवी संक्रमित माँ से बच्चे को।*

एचआईवी/एड्स की रोकथाम

- *रोकथाम के एबीसी -*
  ए - ए-सयंम,
  बी - अपने साथी के प्रति वफादारी,
  सी - कंडोम का उपयोग
- *केवल जाँच किए गए रक्त (एच आई वी रहित) तथा रक्त उत्पादों को लेना*
- *केवल नई /स्टरलाइज्ड की गई सिरिंज तथा सुइयों का उपयोग*
- *माता-पिता से बच्चे ने संचारण को रोकने के लिए सेवाओं का उपयोग*
- *यौन-जनित संक्रमणों / प्रजननात्मक क्षेत्र के संक्रमणों (एसटीआई/आरटीआई) हेतु शीघ्र तथा उचित उपचार करवाना।*

इनसे एचआईवी नहीं फैलता

- *संक्रमित व्यक्ति को छूने, हाथ मिलाने अथवा गले लगने से;*
- *मच्छरों के काटे जाने से*
- *किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ बर्तनों, भोजन, वस्त्र अथवा समान शौचालय का उपयोग से*
- *किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ टेलीफोन कम्प्यूटर अथवा अन्य उपकरणों को बाँटने से*
- *एचआईवी वाले व्यक्तियों की देखभाल करने से*
- *छींकने अथवा खांसने से*
- *रक्त*

एडस के लक्षण

- *शरीर के वजन का १०% से अधिक वजन कम होना*
- *बुखार जो एक माह से अधिक रहता हो*
- *एक माह से अधिक रहने वाला डाइरिया*
- *एक माह से अधिक लगातार रहनेवाली खाँसी*
- *त्वचा में खुजली की समस्याएं*
- *मुँह तथा गले थ्रश (सफेद धब्बे)*

- *लिम्फ ग्लैंड आदि में लम्बे समय तक रहने वाली सूजन*

एड्स के सम्बन्ध में बात करने से संकोच न करें । इस संबंध में खुल कर बातें करें।

आपके बच्चों, मित्रों तथा परिवार को इस रोग के सम्बन्ध में पता होना चाहिए।

एड्स की जानकारी में ही बचाव है।

पीडब्ल्यूए के आधारभूत अधिकार

- ***सूचित स्वीकृति का अधिकार*** *- 'स्वीकृति' का अर्थ दो व्यक्तियों द्वारा समान अर्थ में समान बात के लिए सहमत होना है। किसी भी चिकित्सा प्रक्रियाविधि को किए जाने से पूर्व चिकित्सक को रोगी को इससे जुड़ें जोखिम तथा उपलब्ध विकल्पों की जानकारी देनी चाहिए ताकि वह परीक्षन के प्रति एक सूचित निर्णय ले सके और यह निर्णय ले सके कि वह उक्त परीक्षण को करवाना चाहता है अथवा नहीं। एचआईवी परीक्षण हेतु स्वीकृति ली जानी चाहिए और किसी अन्य जाँच हेतु स्वीकृति को एचआईवी जाँच हेतु स्वीकृति नहीं माना जा सकता है।*
- ***गोपनीयता का अधिकार*** *- एक चिकित्सक तथा रोगी के मध्य सम्बन्ध एक विश्वास वाला सम्बन्ध है और चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह रोगी की स्थिति को किसी को प्रकट न करें । दूसरे शब्दों में अपने रोगी के सम्बन्ध में किसी चिकित्सक के पास जानकारी गोपनीय प्रकृति की होती है और वह ऐसी जानकारी को प्रकट नही कर सकता। पीड्ब्ल्यूए अपनी पहचान को छुपा सकते हैं और किसी ऐसे नाम के अंतर्गत मुकदमेंबाजी कर सकते हैं जो उनका नहीं है अर्थात किसी मिथ्या नाम के साथ। यह उनकी सामाजिक भेद-भाव तथा पक्षपात के भय को समाप्त करने में सहायता करता है।*
- ***भेदभाव के प्रति अधिकार*** *- 'समानता का अधिकार' भारत के संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, पंथ, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पीडब्ल्यूए के पास भी समानता का अधिकार होता है। उनके साथ सरकार अथवा सरकार द्वारा चलाए जाने वाले संगठनों द्वारा केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे एचआईवी संक्रमित है।*
- ***स्वास्थ्य का अधिकार*** *- स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तथा किसी के जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण भाग है। अपने नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार का कर्तव्य भी है। यदि किसी को एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण उपचार करने से मना किया जाता है तो वह कानून की शरण ले सकता है।*
- ***रोजगार का अधिकार*** *- किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी एचआईवी स्थिति के आधार पर रोजगार में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी पीड्ब्ल्यूए जो कार्य करने के लिए उपयुक्त हो और जिसकी शारीरिक स्थिति अन्यों को कोई बडा जोखिम न करती हो, उसे रोजगार से नही हटाया जा सकता है। और यदि उसे इस प्रकार हटाया जाता है तो वह कानून की शरण ले सकता है। यह भी याद रखें कि -*
- *सरकारी क्षेत्र के रोजगार में भर्ती के समय चिकित्सा जॉच के भाग के रुप में कोई भी बाध्यकारी एचआईवी जाँच नही की जा सकती है क्योंकि ऐसी चिकित्सा जाँच का प्रयोजन केवल किसी व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमताओं की जाँच करना है और एचआईवी स्थिति कार्य करने की किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित नहीं करती है।*

- *जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो, किसी व्यक्ति की एचआईवी स्थिति को उसके नियोक्ता को बताना आवश्यक नही है।*
- *यदि किसी व्यक्ति को केवल उसकी एचआईवी स्थिति के आधार पर अवैध तथा गैर -कानूनी तरीके से रोजगार से हटा दिया गया है तो वह व्यक्ति औद्योगिक अधिकरण/श्रम अदालत/ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण जा सकता है या रोजगार के अनुबंध को भंग करने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर कर सकता है या क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है।*

मातृत्व अनुदान योजना

नवसंजीवनी आदिवासी क्षेत्रमें चालू हुई ये योजना राज्यमें के सभी लाभार्थी के लिए चालू की गई है । इस योजनासे दो जिवित अपत्य के पास राज्यमेंके आदिवासी नही है ऐसे लाभार्थी को मातृत्व अनुदान योजना चालू की गई है। ये योजनामें जो महिला पेटसे है उनके दवाई के लिए रु. ४००/-, शासकीय और निमशासकीय आरोग्य संस्थामें प्रसूती हो गई तो रु ४००/- रोख लाभ दिया जाता है।

स्त्रोत : २०/४/२०१४ लोकमत

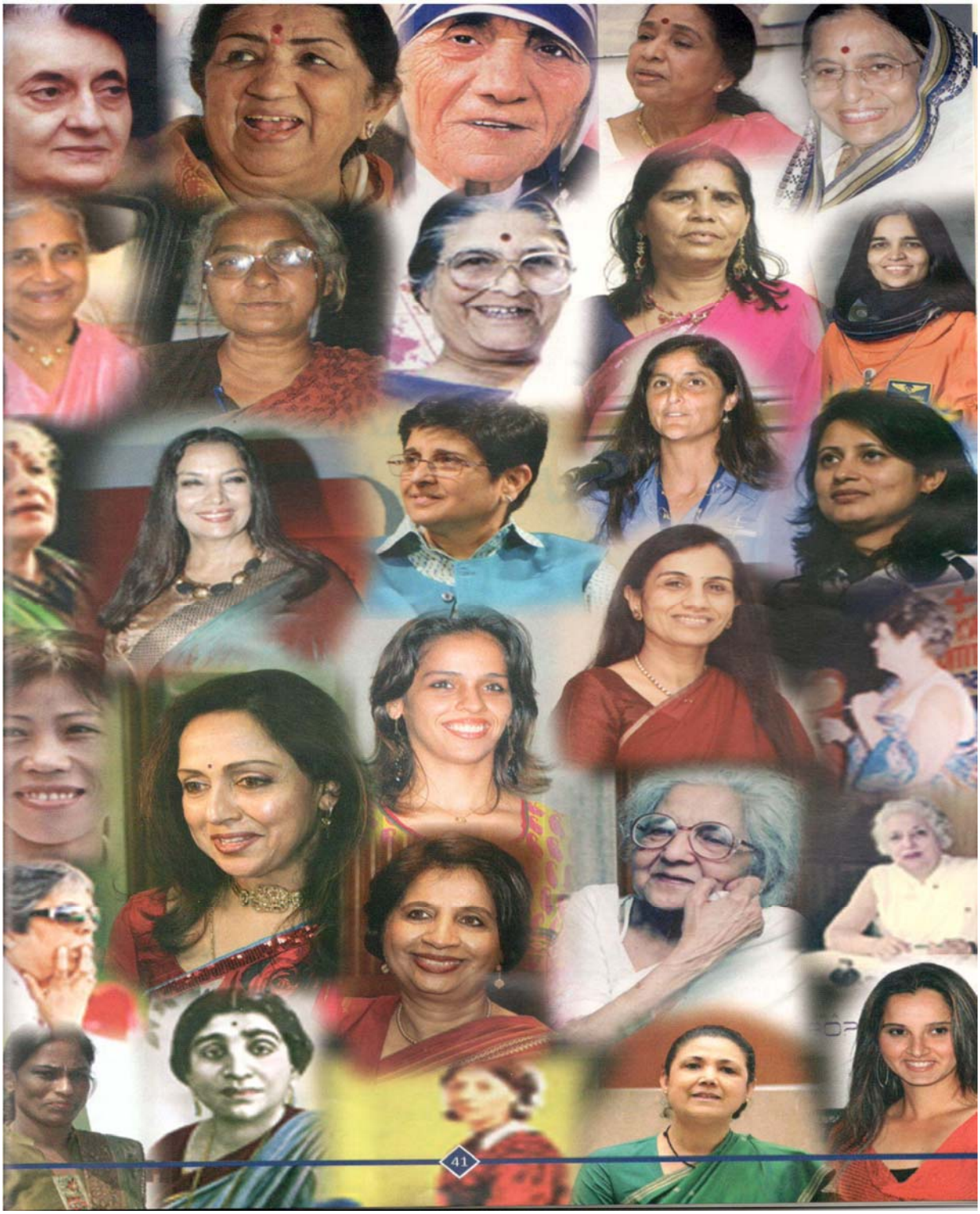
41

महिला एवं बालविकास विभाग , भारतसरकार - बालविकास के लिए विविध योजनाएँ

१. सडकपर/ रस्तेपर रहनेवाले बच्चों के लिए विकास योजना:

परिवार के साथ अथवा परिवारकेबिना सडकपर / रस्तेपर रहनेवाले बच्चे, बस्ती में रहनेवाले, सडक पर घुमने वाले तथा गलत कृत्योंमें सहभागी होनेवाले बच्चे, बूटपॉलिश, कुली, गाडीयाँ साफ करनेवाले, कचरा उठानेवाले, वेटर का काम करनेवाले बच्चों का किसी भी प्रकार से शोषण न हो तथा उन्हें संरक्षण, संस्कार एवं मार्गदर्शन देकर उनका सर्वांगीण विकास करवाने के लिए राज्य में ११ संस्था कार्यरत है। केंद्र सरकार की ओर से संस्था में रहनेवाले ३०० बच्चों के एक गट के लिए प्रतिवर्ष रू. १४,७८,८८०/- (९०%) अनुदान दिया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाको १०% रकम रू. १,६४,३२०/- खुद उठानी लगती है।

२. देखभाल एवं संरक्षण की जरूरतमंद तथा काम करनेवाले बच्चों के विकास के लिए योजना **(Scheme for Working Children in need of Care and Protection):**

देखभाल एवं संरक्षण की जरूरतमंद एवं काम करनेवाले बच्चों को अनौपचारिक शिक्षण व्यवसाय देकर समाज के मुख्य प्रवाह में लाना जिससे वे शिक्षण लेने से वंचित न रहे और उनका कोई शोषण न हो यही इस योजना का उद्देश है। आर्थिक रुप से दुर्बल बस्ती में रहनेवाले रेल लाईन, रेल प्लॅटफॉर्म पर काम करनेवाले, दुकान, ढाबा, मशिनशॉप, यहाँ काम करनेवाले और ऐसे बच्चे जिनके पालक जेल में हो, स्थलांतरित अनैतिक काम करनेवाले कृष्ठरोगी इत्यादी लोगों के बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते है।

शहरी विभाग जहाँ मजदूर लोगों के लिए कुछ योजना नही है, ऐसे विभागमें यह योजना पहले से ही लागू हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थीयो को अनौपचारिक शिक्षण देकर समाज के मुख्य प्रवाहमें लाना, कुटुंब प्रमुख, पालक, रिश्तेदार इनका समुपदेशन करना जिससे बच्चों का किसी भी प्रकार का शोषण न होना यह योजना का उपदेश है।

इस योजना के अंतर्गत १०० बच्चों के एक युनिट के लिए आवर्ती अनुदान दिया जाता है। अ दर्जे के शहर के लिए रु. १०६६८००/- ब दर्जे के शहर के लिए रु. १०४८८००/- और क दर्जे के शहर के लिए १०३६,८००/- साथ ही अनावर्ती अनुदान रु १,८५,०००/- तक दिया जाता है।

३) शिशुगृह :-

रस्ते पर फेंके हुए अथवा परित्यागित ० ते ६ वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए देश के सुयोग्य तथा बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखनेवाले परिवारों में गोद देकर , उस बालक को परिवार देकर उनका पुनर्वसन किया जाता है। राज्य में ऐसी १२ संस्थाएँ काम करती है। इन संस्थांओको बालकों का पोषण , कर्मचारी वेतन , जगह का किराया वकील की फी आदी खर्चो के लिए रु. ६,०८,०००/- आवर्ती अनुदान एवं रु. ५५.०००/- अनावर्ती अनुदान ऐसे कुल मिलाकर रु ६,६३,०००/- के ९०% रु. ५,५६,७०० अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

४) बाल विवाह के लिए किसे दण्डित किया जा सकता है?

कोई पुरुष जो १८ वर्ष की आयु से अधिक का है और १८ वर्ष से कम आयु की किसी महिला से विवाह करता है, तो उसे २ वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जोकि १ लाख रुपए तक हो सकता है, अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है, को २ वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जोकि १ लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।

जो व्यक्ति बाल विवाह को बढावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, को २ वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना जोकि रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

महिला एवं बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन- बालविकास के लिए विविध योजनाएँ

बाल न्याय (बालकोंकी देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम २००० अंतर्गत योजना

१. योजना का नाम: निरीक्षणगृह (सरकारी/स्वयंसेवी)

योजना का स्वरूप : *बालन्याय (बालकोंकी देखवाल एवं संरक्षण अधिनियम २००० में दी गई धारणाओं के अनुसार पोलिस द्वारा कब्जे मे लिए गए विधी संघर्षित बालक, बाल न्याय मंडळ के आदेश तथा अधिनियम के कलम ३२ के अनुसार दी गई उपलब्धीयों के अनुसार अपने कब्जे में लिए गए बच्चे को पालना और संरक्षण की जरूरत होनेवाले बच्चों को बालकल्याण समिती के आदेश के अनुरोध न्यायालयीन पूछताछ के लिए निरीक्षणगृह /बालगृह में रखा जाता है। ऐसे समय में बच्चे को संरक्षण, खाना, कपडा, रहने की सुविधा, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी सेवाएँ दी जाती है। यह समय साधारण स्वरूप में चार महिने अथवा चल रहे मुकदमें के अनुसार एवं बाल न्याय मंडल के आदेश अनुसार बढाया जा सकता है। फिलहाल, १२ सरकारी निरीक्षणगृह कार्यरत हैं तथा उनकी प्रवेशित क्षमता ६०० बच्चों की है। साथ ही स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचलित ४८ निरीक्षणगृह है और उनकी मान्यताप्राप्त क्षमता ४२७५ बच्चोंकी है।*

लाभ का स्वरूप: *स्वयंसेवी संस्था संचलित निरीक्षणगृहों के कर्मचारी वर्ग के लिए १००% सहायता अनुदान तथा प्रति लाभार्थी (बच्चा) प्रतिमाह रू ५८५ +५० के हिसाब से परिरक्षण और अन्य चिजों के लिए अनुदान, मकान किराया ७५ % अनुदान, एस्कॉर्ट खर्च १०० % अनुदान आदी के अनुसार दिया जाता है। सरकारी संस्थांओको सरकार द्वारा मान्य किए गए अनुसार आहार तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।*

२.बालगृह:

अधिनियम १९८४ के अनुसार गठीत किये प्रमाणित पाठशालाऐं, बाल न्याय अधिनियम १९८६ के अनुसार बालगृह और बाल न्याय (बालकोंकी देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम २००० अंतर्गत योजनानुसार ० से १८ वर्ष आयु तक के बच्चोंकी (जिन्हे देखभाल और संरक्षण की आवश्यक्ता हो) उन्हे बच्चोंकी कल्याण समितीके माध्यम से बालगृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात आवस, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है और उनके पुर्नस्थापना के लिए कोशिश की जाती है।

संपर्क:

जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, संस्था की अधीक्षिका।

स्वयंसेवी संस्थांको मिलने वाले लाभ का स्वरूप: *फरवरी २००७ से साधारण बालगृहों के लिए प्रति माह, प्रति बच्चा रू. ९५०/- तक अनुदान में बढत की गई है जिसमें से ६३५/- तक परिपोषण तथा ३१५/- अन्य खर्च के प्रति खर्च यह तरतुद है। २ मतिमंद और एड्सग्रस्त बालकों के लिए रू. ११४०/- तक अनुदान जिसमें से रू. ८२५/- तक परिपोषण तथा ३१५/- अन्य खर्च के लिए तरतुद है। यह सहायक अनुदान ६०% और ४०% ऐसी किश्तों में दिया जाता है। अभी की परिस्थिती में ३३ सरकारी बालगृह कार्यरत है जिनमें ३३०० बच्चों को सुविधा देने की मान्यता है। उसी प्रकार स्वयंसेवी संचलित १६२ बालगृह चलाए जातें हैं जिनकी प्रवेशित मान्यता १२३०५ बच्चों की है।*

३. अनुरक्षण गृह:

योजना का स्वरूप:

निरीक्षण/बालगृह मे रहने का कालावधी खत्म होने मे एक साल का समय बचा हो, तब निराधार, निराश्रित बालकोंको विद्यालयीन व व्यावसयिक प्रशिक्षण देना, उन बच्चों को उस दौरान खाना, कपडे, रहने की सुविधा, नौकरी व उद्योग के द्वारा उन बच्चोंके पुनर्वसन के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। संस्था मे ं दाखिल्ला लिए हुए बच्चों को खाना, कपडे, रहने की सुविधा संस्था की तरफ से दी जाती है। दाखिला लिए गए बच्चों को अनुरक्षण गृहोंमे प्रति माह प्रति बच्चा रू. ९५०/- तक सहायक अनुदान संस्था को दिया जाता है। ऐसे मान्यताप्राप्त सरकारी अनुरक्षणगृहों की संख्या १०० तथा स्वयंसेवी संस्था द्वारा ३ अनुरक्षण गृह चलाए जाते हैं जिनमें ११० बच्चों को रखने की मान्यता है।

४. बाल संगोपन योजनाः

योजना का स्वरूपः *बेघर एवं निराश्रित तथा अन्य जरूरतमंद बालकोंको संस्थां में रखने के बजाय उन्हें पर्यायी व्यवस्था के तौर पर किसी अन्य कुटूंब में रखकर उन्हें संस्था के वातावरण के बजाय घरेलू वातावरण में उनका पालनपोषण तथा विकास हो इसलिए यह योजना की उपलब्धी है । बच्चों का घरमें पालन-पोषण तथा संगोपन यह इस योजना का मूल उद्देश्य है। जो बच्चे अनाथ हैं, अथवा कोई एक पालक जिवीत है, घर में तीव्र कलह, या किसी सदस्य की मृत्यू अथवा बीमारी या फिर किसी भी कारण बच्चे का पालनपोषण सही तरह से नही कर पाते ऐसे बच्चो के लिए कम या फिर ज्यादा कालावधी के लिए बच्चों की जिम्मेदारी दी जाती है। एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे रखना मना है, उसी प्रकार एक ही कुटूंब के दो बच्चों से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ नही मिल सकता। यह योजना सरकार की तरफ से जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांओ की सहायता से कार्य करती है।*

लाभ का स्वरूपः *यह योजना बाल संगोपन योजना के तहत १६ वर्ष आयु से कम होनेवाले बच्चों को संस्था के बाहर तथा परिवार के समेत रहने का पर्याय खुला करती है। पालनपोषण करनेवाले पालकोंको हर बच्चे के लिए ४२५/- तक दिए जाते हैं तथा संस्था को अपने प्रशासकीय कामकाज चलाने के लिए रू. ७५/- संस्था को दिए जाते है।*

५. अनाथालयः

योजना का स्वरूपः *पूरी तरह से अनाथ, १८ साल से कम, निराधार, निराश्रित बच्चों को संरक्षण, अन्न, कपडे, रहने की सुविधा, विद्यालयीन शिक्षण, वैद्यकीय सेवाएँ, औद्योगिक शिक्षण देकर उनका पुनर्वसन करने के लिए बालकल्याण समिती की मंजूरीपर संस्था में बच्चों को दाखिल किया जाता है और उन्हें अन्न, कपडे, रहने की सुविधा इत्यादी, संस्था के तरफ से दी जाती हैं। वहाँ रहने के कालावधी के लिए प्रति माह प्रति बच्चे रू. ९५०/- तक का अनुदान संस्था को प्राप्त होता है। अभी राज्य में सरकार मान्य स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाए गए १८ अनाथालय कार्यरत है तथा उनकी मान्यता प्राप्त प्रवेशित संख्या १४५५ इतनी है।*

६. निराधार, निराश्रित बच्चोंके लिए बालकाश्रमः

योजना का स्वरूपः *निराधार बच्चे जिस समुदाय का हिस्सा है, उसी समुदाय का सामान्य नागरिक बनकर रहने के लिए उनका पुनर्वसन करना यही निराश्रित कल्याण सेवाओं का उद्देश्य है। इन सेवाओंमें अन्न, वस्त्र, रहने की सुविधा, वैद्यकीय देखभाल जैसे उनकी स्थिती सुधार के लिए आवश्यक सेवा तथा शिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, मनोरंजन, सांस्कृतिक विकास एवं नागरिकत्व शिक्षण जैसी सुविधाएँ स्वयंसेवी संस्था द्वारा देकर उनका समाज में पुनर्वसन करने का प्रयास किया जाता है। १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों का दाखिला उस जिले की बाल कल्याण समिती द्वारा स्वयंसेवी संस्था में किया जाता है। वहाँ रहने के कालावधी के लिए, प्रतिमाह प्रतिबच्चा रू. ९५०/- इतना सहाय्यक अनुदान संस्थांओको दिया जाता है। राज्य में ऐसे सरकारमान्य बालकाश्रम १२४ है, तथा उनकी मान्यताप्राप्त प्रवेशित संख्या १०३६० इतनी है।*

७. योजना का नाम: निराश्रित बालकों के लिए संस्था से अलग सेवा (बालसदन)

योजना का स्वरूप: *समाज के १८ वर्ष आयु से कम के अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर एवं सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल, संरक्षण, पालनपोषण तथा रहने की सुविधा के जरूरतमंद बच्चों पारिवारिक वातावरण मिले तथा उन्हें शिक्षण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मिले और उनका पुनर्वसन हो इसलिए स्वयंसेवी संस्था द्वारा बालसदन चलाए जातें हैं। इस योजना अंतर्गत १० लडके-लडकियों का एक गट बनाया जाता है और ऐसे १० गट साथ मिलाकर बालग्राम बनता है। १८ वर्ष आयु से कम अनाथ, निराधार, निराश्रित, आर्थिक दुर्बल, संरक्षण तथा रहने की सुविधा की जरूरत होने वाले बच्चों को बालकल्याण समिती से दाखिला दिया जाता है। संस्था में दाखिल हुए बच्चे को अन्न, कपडे, रहने की सुविधा, शिक्षण, प्रशिक्षण आदी दिया जाता है। रहने के कालावधी के लिए प्रतिमाह प्रति बच्चे को रू. ९५०/- तक अनुदान प्राप्त होता है। राज्यमें सरकारमान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाए जाने वाले ऐसे १८८ बालसदन कार्य करते है, जिनमें ७८५९ बच्चों को रखने की क्षमता है।*

८. योजना का नाम: बाल मार्गदर्शन केंद्र व बाल चिकित्सालय चलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था को सहाय्यक अनुदान:

योजना का स्वरूप: *मुंबई बच्चो का १९८४ कानुन के नुसार, जो बच्चे सरकार प्रमाणित पाठशाला, स्वयंसेवी बालगृह इनमें दाखिला लेते है और जिन बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हो, ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर ना चले, उसी प्रकार बस्ती (स्लम) में रहनेवाले बच्चे बालगुन्हेगार न बने इसलिए, इन बच्चों को मानसिक स्थैर्य देकर उन्हें प्रतिबंध करने के उद्देश्य से बाल मार्गदर्शन केंद्र तथा चिकित्सा केंद्र चलाए जाते हैं। बच्चों की भावनिक एवं मानसिक समस्याओं की जानकारी उनके माता-पिता, दोस्त, पडोसी इनसे लेकर उनकी यह प्रवृत्ती मिटाने की ओर प्रयत्न किए जाते हैं।*

लाभ का स्वरूप: *प्रति बालक मार्गदर्शन केंद्र को कर्मचारी वेतन के लिए प्रतिवर्ष रू. १५००/- तथा कार्यालयीन खर्च के लिए रू १५०० प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल मिलाकर प्रतिवर्ष रू. ३०००/- एवं बाल चिकित्सालय को प्रतिवर्ष रू. १००००/- अथवा पूरे खर्च के ५०% इन दोनों में से कम होनेवाली रकम दी जाती है।*

९. बाल मार्गदर्शन चिकित्सा केंद्र:

बच्चों का वर्तन अन्य परिवार के बच्चों समान न होने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से पहले चिकित्सा केंद्र में ले जाया जाता है तथा वहाँ मानसोपचार तज्ञ से बात होने के बाद, समस्या को ध्यान में रखते हुए उसके लिए समाधान निकाला जाता है। इस योजना के अंतर्गत पालकों को भी मार्गदर्शन दिया जाता है। स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाए गए ऐसे ७ केंद्र राज्य में काम करते हैं, तथा हर संस्था को प्रति वर्ष रू. १०,०००/- तक अनुदान सरकार से प्राप्त होता है।

१०. गोद देना:

हिंदू दत्तक निर्वाह अधिनियम १९५६, पालक एवं पाल्य अधिनियम १८९० तथा बाल न्याय (बच्चो की देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम २०००/२००६, इन कानून प्रक्रिया के अनुसार अनाथ, निराधार, निराश्रीत बालकों को खुद का घर तथा परिवार दिलाया जाता है एवं बच्चा गोद लेने की मनशा रखनेवाले परिवारों को बालक मिलता है, ऐसे दो फायदे इस योजना से मिलते है। मान्यताप्राप्त संस्थांओमें बच्चा गोद लेने की इच्छा रखनेवाले पालकों को अपने नाम पंछीकृत करवाने पडते हैं, तथा पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही मा. न्यायालय के मार्गदर्शक तत्वों तथा आदेश अनुसार बच्चा गोद दिया जाता है। राज्य में कुल मिलाकर ऐसे ४९ संस्था बच्चे गोद देने तथा इन्हें अच्छा परिवार दिलाने के लिए कार्यरत हैं।

महिला एवं बालविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन - बालविकास के अन्य उपक्रम

(क) अन्य उपक्रम

१. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १९५८:-

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १९५८ इस केंदीय अधिनियम के अनुसार पहली बार गुन्हा करनेवाली व्यक्ती, और जिस गुन्हा के लिए फॅांसी या उम्रकैद की सजा नही दी जा सकती ऐसे व्यक्ती को उसकी शारिरीक, मानसिक, आर्थिक परिस्थिती इन सब चिजों को ध्यान में रखकर उसे बंदीवान न बनाते हुए अच्छा नागरिक बनाने के लेखी पत्रक पर स्वाक्षरी करने के बाद रिहा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जिला परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख आरोपी पर होती है। यह खुले वातावरणमें अमल आनेवाली उपचार पद्धती है। यह प्रक्रिया करने से पहले न्यायालयसे प्राथमिक पूछताछ का अहवाल मॅांगा जाता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करनेवाले दप्तरो से परिवीक्षाधीन मुक्तबंदी पुनर्वसन तथा उसके परिवार को देखभाल के लिए कार्य किया जाता है। साथ ही इस में लाभार्थी आरोपी होने के कारण उसे घर पर छोडने के बाद गृह पूछताछ अहवाल भी मंगवाया जाता है। परिवीक्षाधीन तथा मुक्तबंदी के लिए व्यवसाय द्वारा पुनर्वसन के लिए रु ५००/- आर्थिक सहाय के रुप में दिया जाता है।

२. सकस आहार योजना :-

बडे शहरों के बस्ती में रहनेवाले दुर्बल घटकों के ० ते ६ वर्ष आयु के बच्चे , पेट से औरत , तथा स्तनदा माता यह कुपोषण का शिकार ना हो इसलिए उन्हें पौष्टिक तथा सकस आहार इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है!

३. सर्वांगीण बालविकास योजना :-

शहरों की दुर्बल तथा गंदी बस्तीयों में रहनेवाली ० ते ६ वर्ष आयु के बच्चे गर्भवती महिलाएँ तथा स्तनदा माता इन्हें पोषक आहार, आरोग्य जॉंच, वैदयकीय सुविधा आरोग्य संबंधित देखभाल , स्वच्छता, टीकाकरण, पूर्वप्राथमिक एवं अनौपचारिक शिक्षण यह सभी सुविधाओंका लाभ पहुँचने के लिए राज्य के ७४ शहरों में एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यरत है। यह कार्य बाल विकास प्रकल्प अधिकारी द्वारा किया जाता है।

४. भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम १९५९ :-

भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम १९५९ अधिनियम मुंबई पुणे, नागपूर, और सातारा इन शहरों में जारी किया जा चुका है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर भीख मॅांगना गुन्हा है! ऐसे कार्य में पकडे जाने पर पोलिस द्वारा पकडने के बाद न्यायालय के आदेश अनुसार भिख्रमॅांग गृह में २-३ साल तक रखा जाता है। उन्हें अन्न, वस्त्र, रहने की सुविधा , वैद्यकीय सेवा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण देकर उनके पुनर्वसनके प्रयास किये जाते है। राज्य में मुंबई, पुणे, नागपूर , ठाणे, रायगड, सातारा, सोलापूर ,अहमदनगर आदी जिलों में महिलाएँ एवं पुरुषों के लिए शासकीय एवं स्वयंसेवी भिख्रमंगे गृह कार्यरत है!

५. अनाथालय एवं अन्य धर्मादाय गृहे (पर्यवेक्षण व नियंत्रण) अधिनियम १९६० :-

महिला व बालकों के लिए निवासी संस्था चलानेवाले स्वयंसेवी संस्थांओ के लिए अनाथालय धर्मादाय गृह (पर्यवेक्षण व नियंत्रण) अधिनियम १९६० द्वारा निवासी संस्था चलाने के लिए नियंत्रण मंडळ से मान्यता का प्रमाणपत्र प्राप्त करना बंधनकारक है। बिना मान्यताप्रमाणपत्र, निवासी संस्था चलाने पर संबंधित संस्था दंड के लिए पात्र हो सकती है। प्रमाणपत्र के लिए संबंधित जिले के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी इन के पास दिए गए नमुने के अनुसार विनंती करनी पडती है । बाल न्याय अधिनियम २००० एवं अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ अंतर्गत कार्य करनेवाली संस्थांओ को इस अधिनियम से छूट दी गई है।

६. स्वयंसिद्धा योजना :

महिलाओं के स्वयंसहाय्यता बचत गट स्थापन करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के ओर मदद करना, स्वयंसहाय्यता बचत गटदवारा संघटित हुई महिलाओं में आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, हक्क व अधिकार, राजकीय, आर्थिक , सामाजिक विकास इ. विषयी के बारे में महिलाओं मे जागृती करना, महिला सक्षमीकरण का उद्देश्य पूरा होने के लिए मदद करना, महिलाओं का आर्थिक स्त्रोत उपलब्ध करवाना, विकासात्मक योजनाओं को एकत्रित लाकर सर्वांगीण योजना महिलाओं के सामने रखना इत्यादी प्रकार के उद्दिष्ट पूरे करने के लिए केंद्र शासन की योजना के अंतर्गत 'महिला आर्थिक विकास महामंडळ'(माविम) यह स्वयंसहाय्यता बचत गट निर्मिती के लिए स्थापित की गई है।

व्हिक्टिम कॅम्पेन्सेशन योजना

राज्यमें व्हिक्टिम कॉम्पेन्शेसन योजना चालू होने का निर्णय लिया गया है। जिस गुन्हाओंमें, जीवितहानी हुई है तो जिला /राज्य विधी सेवा प्राधिकरण के तरफ से उस व्यक्ति को व्हिक्टिम कॉम्पेन्सेशन योजना के अनुसार कमाल दो लाख रुपये, हमेशा के लिए अपाहीज होनेपर ५० हजार और ॲसिड हल्ला होने पर तीन लाख रुपये नुकसान भरपाई की योजना है।

स्त्रोत : तारीख २१/४/२०१४ लोकमत

बच्चोके संबंधित विविध सरकारी संस्थाऐ / संघटन की जानकारी

(भारत सरकार और राज्य सरकार)

१) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

निपसिड के नाम से सुविदित राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान महिला एवं बाल विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रलेखन को बढावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम २१, १८६० के अंतर्गत वर्ष १९६६ में स्वायत्तशासी संस्थान के रुप में नई दिल्ली में स्थापित यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संरक्षण में कार्यरत है।

संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय केन्द्र हैं। जो गुवाहाटी (१९७८ में स्थापित), बेंगलूरु (१९८० में स्थापित), लखनऊ (१९८२ में स्थापित) तथा इंदौर (२००१ में स्थापित) में स्थित हैं और पूरे देश की क्षेत्र विशेष की अपेक्षाओं को पूरा करते है।

संस्थान का स्वप्न

संस्थान का स्वप्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी और संपर्क विकसित करके तथा इसकी प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को इसके विभिन्न सेवाग्राही समूहों की अपेक्षाओं के अनुरुप बनाने के जरिए दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास का उत्कृष्ट केन्द्र बनना है। संस्थान द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रम और गतिविधियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि संस्थान अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को निरंतर बल प्रदान कर रहा है।

उद्देश्य

संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार है: १) समाज विकास में स्वैच्छिक कार्य का विकास करना और इसे बढावा देना; (२) बाल विकास को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना और राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसरण में प्रासंगिक जरुरत आधारित कार्यक्रम विकसित करना और उन्हें बढावा देना; (३) समाज विकास में सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासों के जरिए बच्चों के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु बुनियादी ढांचा और परिप्रेक्ष्य विकसित करना; तथा (५) ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और तकनीकी निकायों से संपर्क स्थापित करना जो संस्थान जैसी गतिविधियों में संलग्न हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थान को समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए नोडल संस्था घोषित किया है। संस्थान ने बाल देखभाल कार्यकर्ताओं की क्षमताएं बढाना और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), युनेस्को, युनिसेफ, केयर जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की देखरेख का कार्य भी जारी रखा है। संस्थान शिक्षिक वर्ष २००५-०६ से बाल निर्देशन एवं परामर्श में एक वर्षीय उच्च डिप्लोमा पाठयक्रम चला रहा है। यह पाठ्यक्रम गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबध्द है। प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत संस्थान ने अपने उद्देश्यों के क्षेत्र में आवश्यक अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाओं की कार्यवाही तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किये है।

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के संकेत स्थल :
www.nipccd.nic.in *पर संपर्क करे*

२) राष्ट्रीय शिशू कोष

राष्ट्रीय शिशू कोष यह भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा गठित सरकारी संघटन है।

राष्ट्रीय शिशु कोष के मुख्य उद्देश :

- *व्यक्तियों, संस्थाओं, कॉर्पोरेट और दूसरों से धन जुटाने के लिए।*
- *बच्चोके विविध उपक्रमों को बढावा देना और प्राकृतिक आपदाओं, आपदाओं, संकट से और असेवित में स्वैच्छिक एजेंसियों और राज्य सरकारों के माध्यम से, और बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर के अनुसरण में आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों सहित असेवित और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सेवा क्षेत्रों के तहत कठिन परिस्थितियों में प्रभावित होते हैं जो बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों निधि के लिए २००३ कैदियों के बच्चों, दंगे, आक्रामकता से प्रभावित बच्चों, तस्करी से प्रभावित बच्चों और वेश्याओं के बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में भारत, महिला विभाग एवं बाल विकास ९ फरवरी २००४ और बच्चों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित ।*
- *बच्चोके विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के लिए।*

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय शिशू कोष के संकेत स्थल :* www.nipccd.nic.in *पर संपर्क करे

३) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

भारत देश के बच्चो के अधिकारो के संरक्षण, प्रोत्साहन व सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग मार्च २००७ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ (२००६ के ४) के अन्तर्गत एक वैधानिक निकाय के रुप में स्थापित किया गया है। इस अधिनियम में बच्चों को १८ वर्ष से कम आयु के मानव की परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा २ (ब) के अनुरुप बाल अधिकारों में संयुक्त राष्ट्र संघ संधि के अन्तर्गत अधिकार सम्मलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ संधि में बच्चों के लिए निर्धारित मुख्य मानदंण्ड निम्नानुसार है।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) बच्चों के अधिकारों की सार्वभौमिकता और अपवित्रता के सिध्दांत पर जोर देती है और देश के सभी बच्चे से संबंधित नीतियो में तात्कालिकता के स्वर को पहचानता है। आयोग के लिए, ० से १८ वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों के संरक्षण के बराबर महत्व का है। इस प्रकार, नीतियों सबसे कमजोर बच्चों के लिए प्राथमिकता के कार्यों को परिभाषित। यह इतने पर कुछ निश्चित परिस्थितियों में पिछड़े या पर समुदायों या बच्चे है और उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित शामिल हैं। एनसीपीसीआर केवल कुछ बच्चों को संबोधित करने में है, जबकि परिभाषित या लक्षित श्रेणियों के तहत गिर नहीं हो सकता है, जो कई कमजोर बच्चों के बहिष्कार का भ्रम हो सकता है कि विश्वास रखता है। व्यवहार में इसके अनुवाद में, सभी बच्चों को बाहर तक पहुँचने का कार्य समझौता हो जाता है और बाल अधिकारों के उल्लंघन की एक सामाजिक सहिष्णुता जारी है। यह इस तथ्य के रुप में अच्छी तरह से लक्षित जनसंख्या के लिए कार्यक्रम पर एक प्रभाव पडेगा। इसलिए, यह है कि यह केवल लक्षित कर रहे है, जो बच्चो को दिखाई देने लगते हैं और उनके हकों तक पहुँचने के लिए विश्वास हासिल है, कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के पक्ष में एक बडा वातावरण के निर्माण में है कि मानता है।

इसी तरह, आयोग के लिए, बच्चे को भी आनंद मिलता है हर सही परस्पर मजबूत और अन्योन्याश्रित के रुप में देखा जाता है। इसलिए अधिकारों के उन्नयन के मुद्दे ही नहीं उठता। उसे १८ साल में उसके सभी अधिकार का आनंद ले रहे एक बच्चे को वह पैदा होता है समय से उसके सारे हकों के लिए उपयोग पर निर्भर है। इस प्रकार की नीतियों हस्तक्षेप सभी चरणों में महत्व मान। आयोग के लिए, बच्चों के सभी अधिकार समान महत्व के है।

- *संगठन की संरचना*
- *संविधान*
- *कार्य और शक्तियाँ*
- *प्रशासन और वित्त*
- *अन्य अधिनियमों के तहत जिम्मेदारियों*

एक सांविधिक निकाय के तहत के रुप में भारत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सरकार बाल अधिकार संरक्षण के लिए कमीशन यापन करने की धारा ३ (CPCR) *अधिनियम, २००५ (२००६ का संख्या ४) के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण और संबंधित मामलों और को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के साथ काम और इस अधिनियम के तहत उसे सोपे कार्यों को निष्पादित करने के लिए।*

धारा १३ के तहत कार्यों में २ (१) बच्चे के संरक्षण के लिए कमीशन की राइट्स (CPCR) *अधिनियम,२००५, आयोग की जाँच करने और द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या बाल अधिकारों के संरक्षण के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सुरक्षा उपायों की समीक्षा करणे और उपायों की सिफारिश करने के लिए है।*

अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के संकेत स्थल : **www.ncpcr.gov.in *पर संपर्क करे***

सार्वजनिक आरोग्य विभाग - महाराष्ट्र शासन

पहला महिलाओंका आरोग्य, समृध्द करेंगे वह महाराष्ट्रको

महिला आरोग्य के लिए होनेवाले कार्यक्रम

- *दवाखानामें जचकी, माता तथा बालकका तंदरुत आरोग्य जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की सभी आरोग्यसेवा*
- *बालक के लिए मुफ्त लसकरन*
- *कम उम्र के बालक और बालिका के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमोंमे आरोग्य सुविधा*
- *पेटसे और प्रसूती के पश्चात महिलाओंके लिए मुफ्त तपासणी, आहार और सेवा सुविधा*
- *लिंगभेदविरोधी तथा बालिकाके जन्म का स्वागत करने के लिए 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ'कार्यक्रमका प्रसार*
- *अभियानमें राज्यमें उच्च रक्तदाब, कॅन्सर, मधुमेह एवं रोग के मुफ्त में जाँच करने के लिए शिबीर का आयोजन*
- *महिला और बालकका मुफ्त आरोग्य सेवामें 'वात्सल्य' इस रुग्णवाहिका का अनावरण*
- *मानसिक हेल्पलाईन १०४ का उद्‌घाटन*
- *आशा/अंगणवाडी कार्यालयीन महिला कर्मचारी के लिए मुफ्त में आरोग्य जाँच शिबीर*

अधिक जानकारी के लिए सरकारी दवाखानेमें संपर्क करे

महिला एवं बालविकास विभाग अंतर्गत विविध पुरस्कार

महिला एवं बालविकास विभाग , भारतसरकार

१) भारत सरकार बाल कल्यान पुरस्कार (नेशनल अवार्ड फार चाएल्ड वेलफेयर)

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल कल्याण एवं विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक गतिविधियों हेतु पांच संस्थाओं एवं तीन व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होता है।

२) नेशनल चाइल्ड अवार्ड फार एक्सेप्शनल एचीवमेंट

केंद्र सरकार के द्वारा दिये जाने वाला यह पुरस्कार ४ से १५ वर्ष के बच्चों को शिक्षा, कला, संस्कृति एवं खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिये दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष दिये जाने वाले इस पुरस्कार में एक बच्चे को स्वर्ण पदक २०,०००.०० रुपये नगद तथा प्रत्येक राज्य से एक बच्चे को रजत पदक एवं १०,०००.०० रुपये दिया जाता है। इस संदर्भ मे जिला महिला बाल विकास अधिकारी को निर्धारित प्रारुप में आवेदन करना होता है।

३) महिलाओं के विकास के लिये डॉ. दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार

डॉ. दुर्गाबाई देशमुख, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थीं । भारत की स्वतंत्रता के ५० वी वर्षगांठ पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इस महान दृष्टा और महिला प्रगति के पथ प्रदर्शक की स्मृति में उनके नाम से एक वार्षिक पुरस्कार प्रारंभ किया है। पुरस्कार के रुप में ५ लाख रुपये की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और शाल भेंट किया जाता है। यह पुरस्कार महिलाओं के कल्याण व सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उन स्वैच्छिक संगठनों को दिया जाता है जिन्हे इस क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम १० वर्ष का अनुभव हो । नामांकन के इच्छुक स्वैच्छिक संगठन महिला एवं बाल विकास विभाग या राज्य समाज कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते है।

४) राजीव गांधी मानवसेवा पुरस्कार

यह पुरस्कार भारत शासन द्वारा स्वप्रेरणा से बच्चों के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के संदर्भ में एक व्यक्ति को दिया जाता है। यह अवार्ड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो विगत १० वर्षो से बच्चों के क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, जो विभिन्न प्रकार के नि:शक्तता के संबंध में उत्कृष्ट सेवायें स्वयंसेवी तौर पर प्रदान करता हो । इस पुरस्कार में १ लाख रुपये नगद तथा साईटेशन (प्रशस्ती पत्र) दिये जाने का प्रावधान है।

५) राज्य वीरता पुरस्कार योजना

प्रदेश के बच्चों को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, साहस एवं बुध्दिमत्ता के लिये पुरस्कृत करने हेतु राज्य वीरता पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से किया जाता है।

उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वीर, साहसी बालक / बालिकाओं को किसी घटना विशेष में उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, शौर्य एवं बुध्दिमता के संदर्भ में उनके साहसिक कार्य / कृत्य के लिए पुरस्कृत करना है जो अन्य के लिए उदाहरण एवं प्रेरणास्त्रोत बन सके । यह कृत किसी की जीवन रक्षा अथवा उसको शारीरिक क्षति से बचाने के उद्देश्य से नि:स्वार्थ सेवा से संबंधित होना चाहिए।

पात्रता : *आवेदक की आयु घटना दिनांक को १८ वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए तथा आवेदक छत्तेसगढ राज्य का निवासी होना चाहिए।*

पुरस्कार :

पुरस्कार अन्तर्गत प्रति बालक / बालिका को एक मुश्त १० हजार रुपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष अधिकतम ५ बालक । बालिकाओ को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कृत बालक /बालिकाओं को 'राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक / बालिका छात्रवृत्ति नियम २००३'' के अनुरुप छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

संपर्क :-

शाला के प्रधान पाठक / प्राचार्य जिसमें आवेदक अध्ययनरत है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पक्षायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या अनुविभागीय अधिकारी पुलिस / पुलिस अधीक्षक से भी संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान

भारत शासन, राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों की सृजनात्मक कला के विकास हेतु चार विधाओं हेतु में राष्ट्रीय बाल श्री पुरस्कार प्रदान किए जाते है। बाल श्री पुरस्कार अंतर्गत राज्य स्तर, जोनल स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक / बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति

उद्देश्य:

यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार / राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक / बालिका को अध्ययन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक छात्रवृत्तिनियम, २००३ के तहत प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति छत्तीसगढ राज्य बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदान की जाती है।

पुरस्कार :

पुरस्कार प्राप्त बालक / बालिका को स्कूल शिक्षा (उच्चतर माध्यमिक स्तर) के दौरान २००/- प्रतिमाह तथा महाविद्यालय शिक्षा (स्नातक . स्नातकोत्तर) / शोधकार्य (पी.एच.डी.) के दौरान रुपये ५००/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । तकनीकी शिक्षा जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग / तकनीकी शिक्षा में स्नातक / स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये माता - पिता की आय का कोई बंधन नहीं होता है। यह छात्रवृत्ति बालक / बालिका को प्राप्त होने वाली अन्य मैरिट छात्रवृत्ति अथवा अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछडावर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।

संपर्क :

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जिला क्लेक्टर, महासचिव छत्तीसगढ राज्य बाल कल्याण परिषद।

स्त्री शक्ती पुरस्कार:

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पांच स्त्री शक्ति पुरस्कार (देवी अहिल्या बाई होल्कर पुरस्कार, कन्नगी पुरस्कार, माता जीजाबाई पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी गैडिल्यू जेलियग पुरस्कार) दिये जाते है। वर्ष २००७ से छठवें व्यक्तिगत पुरस्कार के रुप में रानी रुद्रम्मा देवी पुरस्कार सम्मिलित किया गया है। यह पुरस्कार पुरुष अथवा महिला को उत्कृष्ट प्रशासनिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता एवं साहसिक गतिविधियों के लिए दिया जावेगा। पुरस्कार हेतु रु. ३.०० लाख एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का प्रावधान है । छतीसगढ शासन द्वारा प्रस्ताव पर ८ मार्च २०१० को श्रीमती फूलबासन यादव, जिला - राजनांदगांव को स्त्री शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

महिला एवं बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

१) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार :

महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रभावी योगदान देनेवाले समाजसेविका, स्वयंसेवी संस्थाओं को यह पुरस्कार उनके काम की प्रशंसा तथा इनसे प्रेरणा लेकर महिला व बाल कल्याण के कार्य के लिए स्वयंसेवक स्फूर्ती से आगे बढे इसलिए राज्य सरकार की ओर से पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार से सन्मानित किया जाता है।

पात्रता व शर्तः

महिला व बाल विकास क्षेत्र में २५ वर्ष लक्षणीय कार्य

पुरस्कार का स्वरुप :

- ***राज्यस्तर पुरस्कार :*** *राज्य की एक महिला को प्रतिवर्ष रु. १,००,००१/- सन्मानपत्र, शाल तथा श्रीफल ।*
- ***विभागीय स्तर पर स्वयंसेवी संस्था को पुरस्कारः***

पात्रता व शर्त : महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में १० वर्ष तक संस्था कार्यरत होनी चाहिए। प्रतिवर्ष हर महसूल विभाग में एक स्वयंसेवी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है।

पुरस्कार का स्वरुप :

रु. २५,००१/- सन्मानपत्र, शाल तथा श्रीफल ।

- ***जिलास्तरीय पुरस्कार :***

पात्रता व शर्त :

महिला समाजसेविका ने महिला व बाल विकास क्षेत्र में कम से कम १० वर्ष महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

पुरस्कार का स्वरुप :

रु. १०,००१/- सन्मानपत्र, शाल तथा श्रीफल ।
हर जिले की एक महिला समाजसेविका को दिया जाता है।

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

योजना के विवरण

उद्देश्य : (सिविल द्वारा परिभाषित के रुप में आपूर्ति विभाग सफेद कार्ड धारकों को छोडकर) एक के माध्यम से सर्जरी औरुपचार या परामर्श के लिए अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता की पहचान की विशेषता सेवाओं के लिए गुणवता चिकित्सा देखभाल करने के लिए गरीबी रेखा (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के नीचे के उपयोग में सुधार स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की पहचान नेटवर्क .

योजना: गढचिरौली, अमरावती, नांदेड: राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना (आर.जी.जे.ए.वाय.) ८ जिलों में पात्र लाभार्थी परिवारों के लिए आर.जी.जे.ए.वाय. तहत ३ साल. बीमा पॉलिसी/कवरेज की अवधि के लिए चरणबध्द तरीके से महाराष्ट्रके राज्य भर में लागू किया जाएगा, शोलापुर, धुले, रायगढ, मुंबई और उपनगरों.

लाभ : ९७२ सर्जरी प्रदान करेगा/ १२१ के साथ उपचारों/प्रक्रियाओं ३० की पहचान की विशेष श्रेणियों निम्नलिखित में संकुल ऊपर का योजना का पालन करें ।

१	जनरल सर्जरी	२	ईएनटी सर्जरी
३	नेत्र विज्ञान सर्जरी	४	स्त्री रोग और प्रसूति सर्जरी
५	आर्थोपेडिक सर्जरी और प्रक्रियाओं	६	सर्जिकल गैस्ट्रो
७	हृदय और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	८	बाल चिकित्सा सर्जरी
९	Genitourinary प्रणाली	१०	न्यूरोसर्जरी
११	सर्जिकल ओन्कोंलॉजी	१२	चिकित्सा कैंसर विज्ञान
१३	विकिरण ओंन्कोंलॉजी	१४	प्लास्टिक सर्जरी
१५	बर्न्स	१६	पाली आघात
१७	कृत्रिम अंग	१८	क्रिटिकल केयर
१९	सामान्य चिकित्सा	२०	संक्रामक रोगों
२१	बाल रोग चिकित्सा प्रबंधन	२२	कार्डियोलोजी
२३	न्यूरोलॉजी	२४	Pulmonology
२५	त्वचा विज्ञान	२६	संधिवातीय शास्त्र
२७	Endocrinology	२८	गैस्ट्रोएंटरोलॉजी
२९	Interventional रेडियोलॉजी		

लाभार्थी परिवार : पीला राशन कार्ड पकडे, अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (ए ए वाई), अन्नपूर्णा कार्ड और अर्थात आठ जिलों से नारंगी राशन कार्ड, गढचिरौली, अमरावती, नांदेड, सोलापूर, धुले, रायगढ, मुंबई शहर और उपनगरीय मुंबई, सफेद राशन कार्ड होल्डिंग के साथ परिवार इस योजना के तहत कवर नहीं किया जाएगा। लाभार्थी परिवारों 'राजीव गांधी जीवनदायी स्वास्थ्य कार्ड' महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए या नागरिक द्वारा जारी पीले और नारंगी कार्ड के आधार पर के माध्यम से पहचान की जाएगी आपूर्ति विभाग.

स्वास्थ्य कार्ड अ; इन जिलों में पात्र परिवारों को समय के कारण पाठ्यक्रम में राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। यह स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत परिवार में लाभार्थी परिवारों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। परिवार स्वास्थ्य कार्ड यूआयडी अधिकारियों द्वारा जारी आधार संख्या उपलब्ध नही में मान्य ऑरेंज / पीला राशन कार्ड, सरकार द्वारा

जारी लाभार्थी के किसी भी फोटो आयडी कार्ड। मरीज का नाम और तस्वीर सहसंबंधी (लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, ड्राइविंग) एजेंसियों स्वास्थ्य कार्ड के एवज में स्वीकार किया जाएगा।

परिवार: *पारिवारिक राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना स्वास्थ्य कार्ड पर सूचीबध्द या वैध ऑरेंज/पीला राशन कार्ड के रुप में धारण सदस्यों का मतलब है।*

पहचान : *सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड । महाराष्ट्र/राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी या आधार संख्या के साथ वैध ऑरेंज /पीला राशन कार्ड के जारी नहीं किया है स्वास्थ्य कार्ड स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की पहचान के लिए एक उपक्रण के रुप में कार्य करेंगे। निम्लिखित कार्रवाई संभव असाधारण स्थितियों के मामले में नेटवर्क अस्पतालों द्वारा किया जाएगा। स्थिति* Validations / *जाँचें, लाभार्थी के साथ कोई स्वास्थ्य कार्ड, मान्य पीले या नारंगी लेकिन के नाम से राशन कार्ड, लाभार्थी उपलब्ध है । आधार आधार संख्या 'आधार' और मामले में संख्या सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी तस्वीर स्वास्थ्य कार्ड नहीं लिया। (लाइसेंस, फोटोग्राफ के साथ चुनाव पहचान पत्र, स्कूल आईडी, अधिकृत कार्यालय द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र ड्राइविंग) मरीज का नाम और आपातकालीन प्रवेश के उदाहरण में फोटोग्राम (सहसंबंधी, अनंतिम* preauthorization *वैध फोटो पहचान प्रस्तुत करने के खिलाफ यह की पुष्टि के अधीन दी जा सकती है । छुट्टी से पहले सरकार द्वारा जारी कार्ड) कार्ड जारी करने के बाद पैदा हुए बच्चे यानी नाम और उपलब्ध नहीं फोटो ।*

स्वास्थ्य कार्ड पर या स्वास्थ्य कार्ड/माता पिता की वैध पीले या नारंगी राशन कार्ड और अधिकृत कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र के साथ या तो माता पिताके साथ बच्चे की वैध पीला/नारंगी राशन कार्ड तस्वीर पर।

पूर्व मौजूदा रोगों: *प्रस्तावित योजना के तहत सभी रोगों दिन से कवर किया जाएगा। बीमारी से पूर्व नीति की स्थापना के लिए एक व्यक्ति को दुख भी है कि रोग के लिए स्वीकृत प्रक्रियाओं के तहत कवर किया जाएगा।*
*योग फ्लोटर आधार और बीमा की अवधि पर बीमा योजना रुपये तक लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती से संबंधित सभी खर्चो को पूरा करने के लिए कवरेज प्रदान करेगा। १,५०,०००/- स्वास्थ्य कार्ड या वैध ऑरेंज/ पीला राशन कार्ड के माध्यम से कैशलेस आधार पर पैकेज दरों को पैनलबध्द अस्पताल विषय में से किसी में प्रति वर्ष प्रति परिवार। लाभ प्रत्येक और रुपये के कुल वार्षिक कवरेज यानी फ्लोटर आधार पर परिवार के हर सदस्य के लिए उपलब्ध हो जाएगा। १.५ लाख परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक व्यक्ति या सामूहिक रुप से लाभ उठाया जा सकता है। गुर्दे प्रत्यारिपण शल्य चिकित्सा के मामले में,*immunosuppressive *चिकित्सा १ वर्ष की अवधि के लिए आवश्यक है। तो गुर्दे प्रत्यारिपण के लिए ऊपरी छत रुपये होगा। २, इस प्रक्रिया के लिए विशेष रुप से एक असाधारण पैकेज के रुप में ५०,००० प्रति आपरेशन। मामलों में इस से संबंधित दावों बीमा कंपनी द्वारा बसे होने के लिए है मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ के द्वारा बहुत कुछ और अच्छी तरह से नियंत्रित होने की संभावना है। लाभार्थी परिवारों के लिए इस योजना के तहत बीमा कवरेज नीति के प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे।*

अवधि भागना : *एक माह की 'से दूर चला अवधि' ८ जिलों पहले चरण के लिए पॉलिसी की अवधि की तारीख के बाद यानी एक महीने तक पॉलिसी अवधि की समाप्ति के बाद अनुमति दी जाएगी। इस पूर्व प्राधिकरण इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सम्मानित किया जाएगा पॉलिसी की अवधि के अंत तक किया और इस तरह पूर्व प्राधिकरण के लिए सर्जरी की जा सकती है कि इसका मतलब है।*

पैकेज: *बीमा कंपनी नेटवर्क अस्पतालों राजीव गांधी जीवनदायी सोसायटी द्वारा बाहर काम संकुल का पालन सुनिश्चित करना चाहिए कि पैकेज दरों जनरल वार्ड, नर्सिंग और बोर्डिंग शुल्क, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, चिकित्सक , परामर्शदाता की फीस, संज्ञाहरण, रक्त, ऑक्सीजन, ओटी में विस्तर शुल्क शामिल होंगे प्रभार, सर्जिकल उपकरणों, दवाओं और ड्रग्स, कृत्रिम उपकरणों, प्रत्यारोपण, एक्स ते और नैदानिक परीक्षण, रोगी को भोजन, राज्य परिवहन या द्वितीय श्रेणी रेल किराया द्वारा एक समय परिवहन लागत की (स्पताल से मरीज के निवास पर ही) आदि दूसरे शब्दों में पैकेज जटिलताओंसहित*

अस्पताल से उनकी मुक्ति के लिए रिपोर्टिंग की तारीख से रोगी के इलाज का पूरा खर्च को कवर करना चाहिए, यदि कोई हो, लेनदेन रोगी को सही मायने में कैशलेस बना रही है। मौत के उदाहरण में, गांव /बस्ती को नेटवर्क अस्पताल से मृत शरीर की गाडी भी पैकेज का हिस्सा होगा आदि हर्निया, योनि या पेट गर्भाशय , उपांत्र-उच्छेदन, कोलेकायस्टोमी, Discectomy *जैसे की योजना बनाई प्रक्रियाओं अधिमानतः उसमें सेवा की उपलब्धता के अधीन पैनल सार्वजनिक अस्पतालों में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रत्येक के लिए दरों में संकेत कर रहे हैं और ऊपरी छत का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीमा कंपनी की गुणवता से समझौता किए बिना उन्हे सौहार्दपूर्ण ढंग से नीचे लाने के लिए गए पैनल में शामिल अस्पतालों के साथ बातचीत कर सकते है।*

कैशलेस लेनदेनः *यह प्रत्येक अस्पताल में भर्ती के लिए लेनदेन कवर प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस हो जाएगा कि परिकल्पना की गई है। दाखिला लाभार्थी अस्पताल जाकर इस योजना के तहत कवर प्रक्रिया को अस्पताल और चयनित नेटवर्क अस्पताल की सेवाओं पर जाता है तो उपलब्ध (बेड की उपलब्धता के आधार पर) बनाया जाना चाहिए। नेटवर्क अस्पताल में बिस्तरों की गैर उपलब्धता के उदाहरन में, दूसरे नेटवर्क अस्पताल है सबसे पास करने के लिए पार रेफरल की सुविधा कराई जाएगी और आरोग्य मित्र भी पास नेटवर्क अस्पतालों की सूची के साथ लाभार्थी प्रदान करेगा।*

ऑनलाइन का दावा निपटारा : *इंश्योरेंस कंपनी मूल बिल की प्राप्ति के ७ दिनों के भीतर ऑनलाइन अस्पतालों के दावों का निपटारा करेगा, निदान रिपोर्ट, केस शीट, रोगी से संतोष पत्र, विधिवत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर किए निर्वहन सारांश, परिवहन के भुगतान की रसीद लागत और दावे के निपटान के लिए बीमा कंपनी को अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों। दावा निपटान के ऑनलाएन प्रगति छानबीन और राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी द्वारा समीक्षा की जाएगी। नेटवर्क अस्पताल में उपचार के लिए कदम ।*

चरण ०१ : *लाभार्थी परिवारों पास पीएचसी/ग्रामीण, इपजिला, सामान्य दृष्टिकोण होगा, महिलाओं/जिला अस्पताल/नेटवर्क अस्पताल आरोग्य मित्रा लाभार्थी की सुविधा होगी ऊपर अस्पतालों में रखा। लाभार्थी नेटवर्क अस्पताल के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधा का दौरा है, वह /वह डॉक्टरों ने प्रारंभिक निदान के साथ नेटवर्क अस्पताल द्वारा आयोजित किया जा रहा स्वास्थ्य शिबिर में शामिल हो सकता है और निदान पर आधारित है कि रेफरल कार्ड प्राप्त कर सकते है। आऊट पेशेंट के बारे में जानकारी और पीएचसी/ग्रामीण, उप जिला, जनरल, महिलाओं/ डीएच में मामलों भेजा और शिबिरों एक अच्छी तरह से स्थापित कॉल सेंटर के माध्यम से नियमित आधार पर सभी आरोग्यमित्रा/अस्पतालों से एकत्र और समर्पित डेटाबेस में कब्जा कर लिया जाएगा ।*

चरण ०२: *नेटवर्क अस्पताल में आरोग्यमित्र, रेफरल कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड या पीला/नारंगी राशन कार्ड की जाँच रोगियों रजिस्टर और विशेषज्ञ परामर्श, प्रारंभिक निदान, बुनियादी परीक्षण और प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना लाभार्थी की सुविधा। दाखिले के नोटों की तरह जानकारी, किया परीक्षण राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी की आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क अस्पताल के चिकित्सा समन्वयक द्वारा समर्पित डेटाबेस में कब्जा कर लिया जाएगा।*

चरण ०३ : *निदान पर आधारित नेटवर्क अस्पताल, रोगी मानते हैं और बीमा कंपनी के लिए ई* preauthorization *अनुरोध भेजता है, एक ही राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी द्वारा समीक्षा की जा सकती है।*

चरण ०४: *सभी शर्तों से संतुष्ट हैं तो बीमा कंपनी और राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसाय्टी की मान्यता प्राप्त चिकित्सा विशेषज्ञ* preauthorization *अनुरोध की जाँच करने और* preauthorization *मंजूरी । यह १२ घंटे काम करने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और तुरंत आपतकालीन स्थिति के मामले में ई* preauthorization *'उन्हे' के रुप में चिहित किया जाता है जिसमें* preauthorization *की वैधता ७ दिनों के लिए होगा।*

चरण ०५: *नेटवर्क अस्पताल लाभार्थी को कैशलेस उपचार और सर्जरी फैली हिई है। नेटवर्क अस्पतालों के पश्चात नोट्स नेटवर्क अस्पताल के चिकित्सा समन्वयक द्वारा वेबसाइट पर अद्यतन किया जाएगा।*

चरण ०६: *नेटवर्क अस्पताल कवर सर्जरी / चिकित्सा /प्रक्रिया के प्रदर्शन के बाद, निदान रिपोर्ट, केस शीट, रोगी से संतोष पत्र, विधिवत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षर किए निर्वहन सारांश, परिवहन लागत का भुगतान और बीमा कंपनी के लिए अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की पावती मूल बोल आगे दावे के निपटान के लिए। निर्वहन सारांश और अनुवर्ती विवरन गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी पोर्टल का हिस्सा होगा।*

चरण ०७ : *बीमा कंपनी बिल के जाँच और बिल की मंजूरी देता है और सहमत हुए पैकेज दरों के अनुसार सहमति व्यक्त की अवधि के भीतर भुगतान करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक निकासी और भुगतान के प्रवेश द्वार के साथ दावा निपटान मॉड्यूल राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी पोर्टल में कार्यप्रवाह का हिस्सा होगा और बीमा कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा। रिपोर्टों राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी लॉगैन पर जाँच के लिए उपलब्ध हो जाएगा।*

चरण ०८ : *नेटवर्क अस्पताल निर्वहन करने की तारीख से १० दिनों के लिए इस योजना के तहत निःशुल्क अनुवर्ती परामर्श, निदान और दवाओं ऊपर प्रदान करेगा।*

स्वास्थ्य शिबिरः *स्वास्थ्य शिबिर तालुका मुख्यालयों, मेजर ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं में आयोजित किया जाना है। पैनल में शामिल अस्पताल के अनुसार प्रति सप्ताह एक शिबिर का न्यूनतम पॉलिसी वर्ष में आठ जिलों में आयोजित किया जाना है। बीमा कंपनी को कम से कम एक निःशुल्क चिकित्सा शिबिर में राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी द्वारा सुझाव गए स्थान पर प्रति सप्ताह प्रत्येक नेटवर्क अस्पताल द्वारा आयोजित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करेगा। अस्पताल के राजीव गांधी जीवनदायी चिकित्सा शिबिर संयोजक चउउजी पूरी गतिविधि समन्वय करेगा। नेटवर्क अस्पताल (राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी ने सुझाव दिया है) के विशेषज्ञों और अन्य पैरो मेडिकल स्टाफ के साथ साथ आवश्यक स्क्रीनिंग उपकरण ले जाएगा। अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन में स्वास्थ्य शिबिर के संबंध में बीमा कंपनी न्यूनतम आवश्यकताओं में डाल दिया जाएगा। पैनल में शामिल अस्पताल जिला कलेक्टर के साथ परामर्श में इंश्योरेंस कंपनी, सिविल सर्जन/ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के जिला समन्वयक के साथ निकट संपर्क में काम करेगा। अस्पताल राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी के शिबिर नीति का पालन करेगा।*

चेंबूर स्थित विविध अस्पताल और उनकी सुविधाओंकी जानकारी

1) SHATABDI HOSPITAL

Vaman Tukaram Patil Marg, Govandi (E),
Mumbai- 400 088
Landmark: Near Dukes Company, Nearest railway station: Govandi, Chembur
Phone No. : 022 - 5564069-70-71
BEST Busses approaching the Hospital: 352, 356,375,523,371,374, and 376
Visiting Hours for patient's relatives: 4: 30 pm – 6:30 pm

Capacity of the Hospital

Beds: Males: 180, Females: 30, Total: 210
*Intensive Care Unit's: Cardiac, Pediatric, Neuro, Medical, Burns, Surgical
**(All these services are combined in one ICU)*

Case Paper Registration	Timings	Window No.
OPD New/ Referral	8 am – 11:30 am	R. No 1
Old Cases	1:30 pm- 3 pm	R. No. 3
Inpatient Admission		R. No 2

OUT PATIENT CARE SERVICES

Department	Days	Timings	Window Number
ANC clinic	Monday, Wednesday& Friday	8am – 9 am	17
Anti rabies Vaccine	Monday to Saturday	8am – 10am	20
Counselling	Monday to Saturday	8 am – 3 pm	26
De addiction	Friday	11.30 am	2nd Floor
Dressing OPD	Monday to Saturday	24 hrs.	32
Ear, Nose, Throat (ENT)	Tuesday,Thursday & Saturday	8am-11: 30am	OPD No. 14
Immunization	Monday to Saturday	8am – 9 am	17
Injection OPD	Monday to Saturday	7am- 3pm	385
Medicine	Monday to Saturday	8am-11: 30 am	OPD No. 4
Obstetrics & Gynaecology	Monday, Wednesday& Friday	8am-11: 30 am	OPD No. 17
Ophthalmology (Eye)	Monday, Wednesday& Friday	8am-11: 30 am	OPD No. 18
Orthopaedic	Monday, Wednesday& Friday	8am-11: 30 am	OPD No. 20
Paediatrics (Children)	Monday to Saturday	8am-11: 30 am	OPD No. 6
PNC clinic	Monday, Wednesday& Friday	8am-11: 30 am	17
Psychiatry	Monday to Saturday	8am-11: 30 am	OPD No. 9
Surgery	Tuesday,Thursday & Saturday	8am-11: 30 am	OPD No. 20

Ambulance

Who can avail: Only for indoor patient
Timings: 24 hours
Fees: Nil
Contact No.: 5564069

Mortuary

Fees: Nil
Contact No.: 5564069
Other Services:

- *Grievance redressal system: Patients can drop their complaints in the Complaint Box*
- *Disabled & Senior Citizens don't have to stand in queue*

2)DEONAR MATERNITY HOME
PPC building, Deonar Municipal Colony,Govandi, Mumbai-400043
Landmark: Deonar Colony Bus stop Nearest Railway Station: Govandi
Phone No. : 022 -5563396
BEST Busses approaching : 380, 375, 376, 357
Visiting hours for patient's relatives: 4 pm – 6pm Beds: Total: 22

Case Paper Registration	Timings	Days
New Cases	9 am-3pm	Monday, Wednesday & Friday
Old Cases	9 am-3pm	Tuesday & Thursday
Injection	9 am-12pm	Monday to Saturday
Referral cases	24 Hrs	Monday to Saturday
Inpatient admission	24 Hours	Monday to Saturday

Out Patient Care Services:

Department	Days	Timing	Window No.
ANC Clinic	Mon & Wed & Fri	9am-3pm	1
PNC Clinic	Saturday, Monday to Sunday (Incase of emergency)	9:30am- 12:30 pm 1 pm – 2 pm	1
Immunisation	Tuesday & Thursday	9 to 12 am	Ward 1
Counselling	Monday to Saturday	9am-3pm	Medical Officer's office

Investigations:
Days: Monday to Saturday
Timing to give samples/check up: 9am to 3pm Timings to collect the report: After 12.30pm
Window No.: Laboratory

- Haemoglobin
- Blood grouping – patients
- Blood grouping – ANC patients
- V.D.R.L.
- Blood grouping
- Urine albumin
- Haemoglobin

Ambulance:
Timings: 24 hours
Fees: As per the rules and regulations of B.M.C
Contact number: 5563396
Other Services:

- ***The grievance redressal system can be availed by contacting the MO.IC & Sister I/C***

Health Post

- Nimoni Baug H.P, Near Big Nalla,Gaikwad Nagar, Govandi-43
- Shivaji Nagar, Shivaji Nagar U.H.C, Shivaji Nagar R.No 4,Govandi-43
- Centenary Genera Hospital, O.P.D No.9,Waman Tukaram Marg, Near Dukes Company, Govandi-88.
- Deonar Mat. Home, Deonar Municipal Colony,Near Nalla , Govandi-43
- Baigan Wadi H.P, Near Municipal School No.2,Govandi 43
- Lotus Colony H.P, Lotus Colony , Shivaji Nagar, Govandi 43

Dispensary 9.00 am to 4.00 pm

- Deonar Colony Dispensary

3)Bombay City Hospital, Shivaji Nagar
Plot No.3/A3 & 4B/3 & B4, Main Road, Govandi, Chembur, Shivaji Nagar, Mumbai -400088 Land Mark: Near Govandi Railway Station
Phone/Mobile : 022 - 25511078, 022 - 25481202, 022 - 25511144, 9820325460, 9820549476
Email : medico123@yahoo.com
Contact Person : Dr. A. Mehdi
Working Hours : Monday - Sunday : 24 Hrs
Categories Gynecologists & Obstetricians

Hospital Address

1	**K.J.Somaiya Hospital** Opp:Eastern Express Highway Ayurvihar Sion M.- 9820008078	**2**	**MGM Hospital Research Centre , MHR** 1A CBD Belapur CBD Belapur Opp Bus depot Tel.- 27572293
3	**Surana Sethia Hospital and Research Center** SSH 610 Chembur Sion Trombay Road Suman Nagar M.-9833038644	**4**	**KEM Hospital, Parel , KEM** 74, Parel, Acharya Donde Marg, Near Tata Hospital M.- 9820514077 / 9969152436
5	**Jaffar Suleman Musafirkhana Trust medical** J.S.M House, Brahmanwadi Patankar Marg, kurla west Mumbai, 400070 M.- 9821211621	**6**	**SUSHRUT HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE , SRC** 365 CHEMBUR SWASTIK PARK SWASTIK CHAMBER Tel.- 25288731
7	**H. J. Doshi Ghatkopar Hindu Sabha Hospital , HJD** Ghatkopar (West) Shraddhanand Road Near Railway Station M.- 9869697958	**8**	**Asian Heart and Research Centre Pvt Ltd, ASR** Bandra Kurla, Opp ICICI Bank Bandra Kurla, M.- 9930181843
9	**Tata Memorial Hospital** Dr. E Borges Road, Parel, Mumbai, Maharashtra 400012 Tel. No. 022 2417 7000 M.- 8767889092		

आपकी जानकारी के लिए

	भारत सरकार		महाराष्ट्र शासन
१	महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार शास्त्रीभवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नवी दिल्ली - ११०००१ फोन नं. ०११-२३०७४०५२/२३०७४०५३ /२३०७४०५४ ईमेल:min-wcd@nic.in	२	महिला और बाल कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन नई प्रशासकीय इमारत तीसरी मंजिल, मंत्रालया के सामने , मदाम कामा रोड, मुंबई - ४०००३२, टेली. - ०२२-२२०२७०५० फॅक्स नं- ०२२ - २२८२८२८१
३	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ५ वाँ तल, चन्द्रलोक बिल्डींग, ३६ जनपथ, नई दिल्ली - ११०००१ दूरभाषा : ९१ -०११-२३४७८२००, २३७२४०३० फैक्स: ९१-०११ -२३७२४०२६ ईमेल : ncpcr.india@gmail.com; complaints.ncpcr@gmail.com	४	महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (MCPCR) तीसरी मंजिल, सरकार परिवहन सेवा भवन, सर पोचखनवाला रोड, वरली, - मुंबई - ४०००३२. फैक्स नं. - ०२२-२४९२०८९६ टेलीफोन -०२२-२४९२०८७९ मो.- ०९४२०४८८३०६ ईमेल : mscpcr@gmail.com
५	राष्ट्रीय महिला आयोग ४, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - ११० ००२. टेलीफोन नं- ९१-११-२३२३४९१८, २३२२२८४५ शिकायतो सेल : ९१-११-२३२१३४१९,२३२१९७५०, टेलीफैक्स - ९१-११-२३२३६१५३ ईमेल : ncw@nic.in	६	राज्य महिला आयोग गृहनिर्माण भवन (म्हाडा इमारत) मेजेनाइन मंजिल, बांद्रा (ई), मुंबई - ४०० ०५१. टेलीफोन नं. - ०२२-२६५००७३९/२६५९१७६८ ईमेल आयडी: mscwmahilaayog@gmail.com वेबसाईट : www.mahilaayog.maharashtra.gov.in
७	राष्ट्रीय महिला कोष १, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली - ११०००१ फोन : ०११-२३३५४६२० -२३३५४६२८ फैक्स : ०११- २३३५६२१ ईमेल : ed_rmk@nic.in / rmkosh@gmail.com वैबसाईट : www.rmk.nic.in	८	आयुक्त महिला और बाल विकास आयुक्तालय ३, चर्चरोड, पुना - ४११ ००१. टेलीफोन : ०२०-२६१२ ७४२९, २६११ ४८६१ वैबसाईट : www.commissionoratewcd.gov.in http://womenchild.maharashtra.gov.in
९	राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड डॉ. दुर्गाबाई देशमुख समाज कल्याण भवन, बी-१२, ४ मंजिल कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - ११००१६. फोन: ०११-२६८५४७४, ०११-२६८५१३३६ फैक्स : ०११-२६९६००५७, ०११-२६८६६४८५ रिसेप्शन : ०११-२६५४३७००/हेल्पलाईन:०११-२६५४३७३५ ईमेल: cswb_1@yahoo.co.in	१०	महिला आर्थिक विकास महामंडल (माविम) मुख्य कार्यालय (महाराष्ट्र सरकार के अधीन) गृह निर्माण भवन (म्हाडा) मेजेनाइन मंजिल, कल्याणनगर, बांद्रा (ई), मुंबई - ४०० ०५१. टेलि. - ०२२- २६५९१२१३/२६५९१६२९/२६५९१०१३ फैक्स- ०२२- २६५९०५७४/२६५९०५६८ Website - www.mavimindia.org
११	भारतीय महिला बैंक लिमिटेड ९वी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, ६१, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - ११००१९ टेलीफोन नं. - ०११-४७४७२१००		

संकेताक्षर की सूची

LIST OF ABBREVIATIONS

CEHAT:	Centre for Enquiry into Health and Allied Themes	स्वास्थ्य और संबध्द विषयों में पूछताछ के लिए केंद्र
CLA Act:	The Criminal Law (Amendment) Act 2013	आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम २०१३
CRC:	The United Nations Convention on the Rights of the Child, 1990	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, १९९०
Cr.P.C:	The Code of Criminal Procedure, 1973	आपराधिक प्रक्रिया संहिता, १९७३
CSA:	Child Sexual Abuse	बाल यौन शोषण
CWC:	Child Welfare Committee	बाल कल्याण समिति
FIR:	First Information Report	प्रथम सूचना रिपोर्ट
IPC:	The Indian Penal Code, 1860	भारतीय दंड संहिता, १९६०
ITPA:	The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956	अनैतिक आवागमन (निवारण) अधिनियम, १९५६
J.J Act:	The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम २०००
LCWRI:	Lawyers Collective, Women's Rights Initiative	वकील कलेक्टिव, महिलाओं के अधिकार पहल
NGO:	Non-Government Organization	गैर सरकारी संगठन
NCPCR:	The National Commission for Protection of Child Rights	बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग
PCPP:	Police Care and Protection Report	पुलिस की देखभाल और संरक्षण की रिपोर्ट
POCSO:	The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012	२०१२ यौन अपराध अधिनियम, से बच्चों की सुरक्षा
RI:	Rigorous Imprisonment	सश्रम कारावास
SCPCR:	State Commission for Protection of Child Rights	बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग
SJPU:	Special Juvenile Police Unit	विशेष किशोर पुलिस यूनिट
SOP:	Standard Operating Procedures	मानक संचालन प्रक्रियाओं
UNICEF:	The United Nations Children's Fund	संयुक्त राष्ट्र बाल कोष
U/s:	Under section	खंड ते तहत

माँ
लाडो देवी
मेरी माँ है, सबसे महान
जाने हैं, ये सारा जहान
गर्भ में रखा मुझे नौ मास
दिलाई दुनिया में आने की आस।
फिर दिया जन्म दुनिया में लाई
कन्या भ्रूण हत्या से बचाई ।
अपने सिरहाने रखा कफन
किए अपने सारे शौक दफन ।
बनाया तुने मुझे अपना अंश
पाला देकर अपना रक्त ।
हर रिश्ते का है मौल यहाँ
पर मेरी माँ तो है अनमोल।
प्यार इसका सागर से गहरा
नहीं दिखता उसका आकार ।
अहसास उसके प्यार का
सुखद सपनों का संसार ।
आंचल इसका सुरक्षा कवच
भरे हिर्दय में अनुराग।
आंसुओं से सींचा इस विरवे को
बनाई चंपा, चमेली, गुलाब।
माँ के चरणों में है चारो धाम
आओ करें इसे प्रणाम ।